Fifteenth Lok Sabha
XIII Session (21/02/2013 to 08/05/2013)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 फरवरी, 2013/2 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 283

अपराह्न 12.40 बजे

1. राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.41 बजे

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण — सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री उमाशंकर सिंह; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मनहरन लाल पाण्डेय और सातवीं, आठवीं और नौंवी लोक सभा के सदस्य श्री पी॰ षणमुगम के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 10 फरवरी, 2013 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कुंभ मेले के 37 तीर्थयात्रियों की मृत्यु के बारे में भी उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात्, सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.46 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 22 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—4913LS(S4)—21.02.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2013/3 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 284

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 21.2.2013 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुए दो बम धमाकों में अनेक व्यक्तियों के मारे जाने और बहुत-से लोगों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2012, जो

29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-3/69(98)/समन्वय प्रकोष्ठ/स्था॰ I में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा झारखण्ड राज्य के संबंध में जारी 18 जनवरी, 2013 की उद्घोषणा जो 18 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 27(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 2013 को किए गए आदेश, जो 18 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 28(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) झारखण्ड के राज्यपाल के 8 जनवरी, 2013 और 12 जनवरी, 2013 के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 3) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 1)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 2)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी, 2013 को प्रख्यापित दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 3)।

(6) 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 31(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग

(प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग के गठन के बारे में राष्ट्रपति का आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

(एक) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री वीरभद्र सिंह के लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 1 जनवरी, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने 1 जनवरी, 2013 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

(दो) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें गुजरात के पोरबंदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया के लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 3 जनवरी, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने 3 जनवरी, 2013 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 23 नवम्बर, 2012 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 2 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2012; और
2. संविधान (98वां संशोधन) विधेयक, 2012।

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012;
2. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण उगाही विधि (संशोधन) विधेयक, 2012;
3. धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012;
4. विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (संशोधन) विधेयक, 2012; और
5. बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 ।

***6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री अनंत कुमार ने कार्यमंत्रणा समिति का 44वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.03 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में दो बम धमाकों में अनेक व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में दो बम धमाकों में अनेक व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री बसुदेव आचार्य
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री शरद यादव
6. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
7. श्री वी॰ अरुण कुमार
8. श्री टी॰ आर॰ बालू
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
11. श्री अनंत गंगाराम गीते
12. श्री नामा नागेश्वर राव
13. श्री गुरुदास दासगुप्त
14. श्री शरीफुद्दीन शारिक
15. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
16. श्री नरहरि महतो
17. डॉ॰ (श्री) अजय कुमार

श्री शिवकुमार उदासी भी सहयोजित हुए।

(लोक सभा अपराह्न 1.21 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.22 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 1.06 बजे।

अपराह्न 2.22 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुए दो बम धमाकों के बारे में वक्तव्य दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.36 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.37 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 3.37 बजे

9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री बसुदेव आचार्य का वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, 2012

(2) श्री अनंत गंगाराम गीते का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (*अनुच्छेद 72 का संशोधन*)।

(3) डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण का पर्यावरण संरक्षण (गैर-जैव अवक्रमणीय कूड़ा-कचरा नियंत्रण) विधेयक, 2013

(4) डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण का इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट (उठाई-धराई और निपटान) विधेयक, 2013

(5) डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण का आवासहीनता निराकरण विधेयक, 2013

(6) डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण का अशिष्ट या छद्म विज्ञापन और रीमिक्स गीत (प्रतिषेध) विधेयक, 2013

(7) श्री प्रेमदास राय का भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2013 (*धारा 2 का संशोधन*)।

(8) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें तथा कल्याण) विधेयक, 2013

(9) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2013

(10) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2013

(11) श्री अनुराग सिंह ठाकुर का हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013 (*धारा 3 और 15 का संशोधन*)।

(12) श्री वैजयंत पांडा का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2013 (*धारा 2 का संशोधन, आदि*)।

(13) श्री निशिकांत दुबे का बिहार पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2013 (*आठवीं अनुसूची का संशोधन*)।

(14) श्री राकेश सिंह का कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2013

(15) श्री राकेश सिंह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (विनियमन) विधेयक, 2013

(16) श्री राकेश सिंह का मध्य प्रदेश राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2013

अपराह्न 3.48 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—वापस लिया गया

श्री जय प्रकाश अग्रवाल का वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010

श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा 7.12.2012 को विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री अर्जुन मेघवाल (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)

(2) चौधरी लाल सिंह

(3) श्री मंगनी लाल मंडल

(4) श्री भर्तृहरि महताब

(5) श्री विजय बहादुर सिंह

(6) श्री मनोहर तिरकी

श्री पी॰ बलराम नाईक ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

सांय 5.29 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

श्री हंसराज गं॰ अहीर का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (*धारा 2 का संशोधन, आदि*)।

श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:–

1. चौधरी लाल सिंह

2. श्री अर्जुन मेघवाल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नही हुई।

*सांय 6.57 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 26 *फरवरी,* 2013 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.57 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4975LS(S4)—22.02.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 26 फरवरी, 2013/7 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 285

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने तीसरी लोक सभा के सदस्य श्री बैष्णव चरण पटनायक के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 20 फरवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में एक नौका के डूबने की दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो जाने और अनेक व्यक्तियों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने 22 फरवरी, 2013 को बिहार के गया जिला में बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से 6 पुलिसकर्मियों सहित 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—23 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 24 — 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 — 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे (वाल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निर्दिष्ट खाद्य-वस्तुओं पर (अनुज्ञापन अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन निर्बंधनों) का उत्सादन (दूसरा संशोधन) आदेश, 2012 जो 20 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2968(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (सार्वजनिक पार्क, उद्यान अथवा आमोद-प्रमोद मैदान) उप-विधि, 2012 जो 23 अक्तूबर, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 4/1/2008यूडी/13394 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतियोगी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी (संशोधन) नियम, 2012 जो 27 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3008(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 302(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2012 जो 17 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 695(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 280(अ) जो 2 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 914(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 740(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(9) उपर्युक्त (7) और (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2012, जो 23 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2775(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

*(1) 'स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोग (2010-11)' के बारे में 64वां प्रतिवेदन।

*(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित 'भारत में चाय विकास में चाय बोर्ड की भूमिका' के बारे में 65वां प्रतिवेदन।

*(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'करों की वापसी पर ब्याज पर उपगत व्यय' के बारे में 66वां प्रतिवेदन।

*(4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'सामाजिक-आर्थिक विचारणों पर नई लाइनों का निर्माण', 'लोकोमोटिव के अनुरक्षण में अत्यधिक विलम्ब' और 'रेल विकास निगम लिमिटेड का कार्यकरण' के बारे में 67वां प्रतिवेदन।

---

* ये प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 16 जनवरी, 2013 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। यह मामला 17 जनवरी, 2013 के लोक सभा समाचार—भाग 2 में विधिवत अधिसूचित किया गया।

*(5) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'संवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)' के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 68वां प्रतिवेदन।

*(6) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'संवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)', के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 69वां प्रतिवेदन।

6. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰सी॰ चाको ने विशेषाधिकार समिति (15वीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी समिति (2011-12) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी समिति (2011-12) के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

8. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राज बब्बर ने 'तटरक्षक संगठन के निष्पादन के बारे में 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011' के बारे में खाद्य,

---

* ये प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 16 जनवरी, 2013 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। यह मामला 17 जनवरी, 2013 के लोक सभा समाचार—भाग 2 में विधिवत अधिसूचित किया गया।

उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 27वां प्रतिवेदन[$] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालकृष्ण के॰ शुक्ला ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) अनुसंधान और नव प्रवर्तन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 के बारे में 248वां प्रतिवेदन।

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2012-13 (मांग संख्या 104) के बारे में 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 249वां प्रतिवेदन।

(3) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2012-13 (मांग संख्या 57) के बारे में 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 250वां प्रतिवेदन।

(4) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2012-13 (मांग संख्या 105) के बारे में 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 251वां प्रतिवेदन।

(5) उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों 2012-13 (मांग संख्या 58) के बारे में 246वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 252वां प्रतिवेदन।

11. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री बालकृष्ण के॰ शुक्ला ने अनुसंधान और नव प्रवर्तन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

$ 27वां प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 17 जनवरी, 2013 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

12. समितियों के लिए निर्वाचनों हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के साथ सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री जगदम्बिका पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री जगदम्बिका पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2013 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. प्रस्ताव

श्री कमल नाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा 22 फरवरी, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

14. बजट (रेल)

श्री पवन कुमार बंसल ने रेल के संबंध में वर्ष 2013-2014 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.26 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.31 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा उड़ीसा के संभलपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सदृश्य सुविधाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में सिरूसेरी में रेल आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा मंगलौर और बेपोर में कोपरा के लिए भण्डारण सुविधाओं की स्थापना किए जाने और लक्षद्वीप समूह के किसानों से कोपरा की खरीद हेतु शर्तों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विलास बी॰ मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर शहर में नागरिक और अन्य मूलभूत संरचना के विकास हेतु विशेष वित्तीय अनुदान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश में और विशेष रूप से करीम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की जानें गई हैं और फसल बर्बाद हुई हैं, उनके परिवारों को तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा केरल के त्रिशूर जिले में कोरट्टी लेप्रोसी हास्पिटल में केन्द्रीय नर्सिंग विद्यालय शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध तरीके से पर्याप्त धनराशि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखण्ड में विकास कार्य हेतु वन्य भूमि का डीजिटल मानचित्र प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त हटाए जाने और ऐसे कार्यों हेतु राज्य में वन्य भूमि का दाखिल-खारिज कराने की समय-सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ग्वालियर और झांसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 का मरम्मत कार्य कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा देश में गो-वध पर पाबंदी लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश में कम्हरिया घाट पर घाघरा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब की सरकारों द्वारा बकाया ऋण देयताओं पर ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु में मोरप्पुर और धर्मपुरी के बीच पुन: एक नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) एडवोकेट ए॰ सम्पत द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जगदानंद सिंह द्वारा पर्यावरणीय अपक्षरण को रोकने के लिए देश में, विशेष रूप से बिहार में नदी तल से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जोस के॰ मणि द्वारा केरल में रबर उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.32 बजे

16. नियम 193 के अधीन चर्चा

उपलब्ध समय	: 4 घंटे
लिया गया समय	: 3 घंटे 28 मिनट
शेष समय	: 32 मिनट

श्री शैलेन्द्र कुमार ने देश के विभिन्न भागों में सूखे और ओलावृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में एक चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अरुण सुभाषचन्द्र यादव
2. श्री गोपीनाथ मुंडे
3. श्री विजय बहादुर सिंह
4. श्री शरद यादव
5. प्रो॰ शेख सैदुल हक
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अनंत गंगाराम गीते
*8. श्री नारनभाई कछाड़िया
*9. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी
*10. श्री संजय धोत्रे
*11. श्री एस॰ सेम्मलई
*12. श्री के॰ सुगुमार
13. डॉ॰ (श्री) अजय कुमार
14. श्री एम॰ आनंदन
*15. श्री अर्जुन मेघवाल
*16. श्री हरिभाऊ जावले
*17. श्री जगदम्बिका पाल
18. श्री सतपाल महाराज
19. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
*20. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
*21. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
22. श्री रमेश राठौड़
*23. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
24. श्री प्रबोध पांडा
*25. श्री अशोक अर्गल
26. श्री जगदानंद सिंह

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

27. श्री के॰ बापीराजू

28. श्री राजू शेट्टी

*29. श्री मानिक टैगोर

*30. श्री सुरेश अंगड़ी

31. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

*32. श्री एन॰ पीतामबर कुरूप

चर्चा पूरी नहीं हुई।

$17. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, आज जब माननीय रेल मंत्री रेल बजट प्रस्तुत कर रहे थे, कुछ सदस्यगण सभा में अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए और बजट प्रस्तावों के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। श्री आर॰के॰ सिंह पटेल ने कुछ पत्रों को फाड़ भी दिया और उन्हें अध्यक्षपीठ की ओर फेंका।

श्री आर॰के॰ सिंह पटेल का व्यवहार न केवल असंसदीय है अपितु यह सभा की अवमानना की कोटि में आता है और इससे सभा की गरिमा धूमिल होती है।

सदस्य का व्यवहार अति निन्दनीय है और मुझे आशा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

#सायं 6.47 बजे

(लोक सभा बुधवार 27 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

$ अपराह्न 3.38 बजे।

सायं 6.00 बजे से सायं 6.47 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5132LS(S4)—26.02.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 286

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41—43 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 44— 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461— 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक समीक्षा 2012-13 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 2012 जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 843(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के कदाचार और अक्षमता की

जांच के लिए पद्धति) संशोधन नियम, 2012 जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 2(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भूतपूर्व-सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्रोजगार) संशोधन नियम, 2012 जो 10 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 757(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सूरत के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सूरत के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सूरत के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

***4. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 26 फरवरी, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 सितम्बर, 2012 को पारित कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निरोध, प्रतिषेध और निवारण) विधेयक, 2012 से संशोधनों के साथ सहमत हुई और इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को भेजी जाए।

5. विधेयक राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित — सभा पटल पर रखा गया

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निरोध, प्रतिषेध और निवारण) विधेयक, 2012

---

*अपराह्न 2.30 बजे।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पांडा ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''रेल सुरक्षा आयोग का कार्यकरण'' के बारे में 188वां प्रतिवेदन।

(2) ''राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास-क्षमता और चुनौतियां'' के बारे में 189वां प्रतिवेदन।

(3) ''दार्जिलिंग और सिक्किम में पर्यटन का विकास'' के बारे में 190वां प्रतिवेदन।

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 55वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री राज बब्बर द्वारा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में किसानों और उद्योगों के लिए विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हर्षवर्धन द्वारा वर्ष 2004 में केन्द्रीय भविष्य निधि लागू होने से पूर्व नियुक्त जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 की प्रसुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* ये प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 6 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किए गए और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अग्रेषित किए गए।

(3) श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा, सुविधाएं और परियोजनाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के स्वामित्व वाली भूमि अन्य जातियों के व्यक्तियों को बेचे जाने की सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 42 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने वाले अनैतिक कार्यकलाप रोकने हेतु मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित राज्य राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग में कोटि–उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और संरक्षण स्कीमों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दानवे रावसाहेब पाटील द्वारा महाराष्ट्र में सूखा-राहत उपायों के लिए आबंटित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा गिरीडीह में रिंग रोड का निर्माण किए जाने और झारखण्ड में कोनर बांध सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रमेन डेका द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडों की तस्करों से सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा झारखण्ड में तिलैया-कोडरमा रेल लाईन परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश में कुंडा से प्रतापगढ़ और लालगोपालगंज से प्रतापगढ़ तक सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु के सेलम सिटी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, 47, 68 पर उपरि पुल और भूमिगत पारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री प्रबोध पांडा द्वारा स्वर्ण रेखा परियोजना के कार्य को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ अजय कुमार द्वारा देश में पंचायत स्तर पर यूआईडी केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राजू शेट्टी द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पेंशन स्कीम से संबंधित शिकायतों का निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

पूर्वाह्न 12.03 बजे

10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय	: 12 घंटे
लिया गया समय	: 5 घंटे 56 मिनट
शेष	: 6 घंटे 4 मिनट

श्री पी॰सी॰ चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों संभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक आभारी हैं'।''

डॉ॰ गिरिजा व्यास ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

एक सौ चौदह (सं॰ 373, 375, 384, 404, 596—649, 739—754, 755—767, 1346—1361 और 1561—1571) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री राजनाथ सिंह

(2) श्री मुलायम सिंह यादव

(3) डॉ॰ बलीराम

(4) प्रो॰ सौगत राय

(5) श्री भर्तृहरि महताब

(6) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव

(7) श्रीमती सुप्रिया सुले

(8) डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

(9) डॉ॰ रतन सिंह अजनाला

(10) डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग

(11) डॉ॰ चिन्ता मोहन (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.06 बजे

(लोक सभा गुरुवार 28 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 7.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5201LS(S4)—27.02.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 28 फरवरी, 2013/9 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 287

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. बजट (सामान्य) — 2013-2014

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वर्ष 2013-2014 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.44 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे गए

श्री पी॰ चिदम्बरम ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) बृहत्-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

3. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

वित्त विधेयक, 2013

अपराह्न 12.45 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 1 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—5227LS(S4)—28.02.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 1 मार्च, 2013/10 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 288

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 27 फरवरी, 2013 को कोलकाता के एक बाजार में लगी भीषण आग में 19 लोगों के मारे जाने और अनेक अन्य लोगों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और इसके बाद सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(लोक सभा सोमवार, 4 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—5263LS(S4)—01.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 289

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 4 मार्च, 2013 को जालन्धर, पंजाब में हुई एक सड़क दुर्घटना में 11 स्कूली बच्चों के मारे जाने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 82—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल टाइगर कंजरवेशन आथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल टाइगर कंजरवेशन आथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2611(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मणिपुर राज्य में, उसमें उल्लिखित पादपों और जन्तुओं की प्रजातियों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2612(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, उसमें उल्लिखित पादपों और जन्तुओं की प्रजातियों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, को अधिसूचित किया गया है।

(8) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) फिरोजपुर छावनी चुंगी (संशोधन) उप-विधि, 2012 जो 24 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 9(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जालंधर छावनी चुंगी (संशोधन) उप-विधि, 2012 जो 12 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 3(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(9) उपर्युक्त (8) की मद (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) नौ-सेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौ-सेना अवकाश (संशोधन) विनियम, 2012 जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 98 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफोर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफोर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) (एक) स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 3023(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जनवरी, 1993 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 205 का निरसन किया गया है।

(दो) कच्चे मांस का निर्यात (शीतित/प्रशीतित) (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2012 जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-I अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2013 जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 16(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन

नियम, 2012 जो 19 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 307(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) (संशोधन)] विनियम, 2012 जो 24 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/1/59/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (घरेलू और विदेशी सत्ता से संबंधित गोपनीय सूचना को बांटना) विनियम, 2012 जो 24 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रेग/2/60/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(19) उपर्युक्त (18) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 923(अ) जो 24 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 36(अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2812(अ) जो 30 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 2838(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2899(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 2966(अ) जो 20 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 3070(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 37(अ) जो 3 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 170(अ) जो 15 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 190(अ) जो 17 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 240(अ) जो 23 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 307(अ) जो 31 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 306(अ) जो 31 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 5/2013-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 331(अ) जो 7 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 25(अ) जो 15 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 92/2012-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 35(अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का॰आ॰ 880(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 नवम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 744(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 904 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 922 (अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 42 (अ) जो 23 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 65 (अ) जो 4 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक संयुक्त राज्य अमरीका और जापान में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलियोल' के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को 4 फरवरी, 2014 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 881 (अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पॉलीविनाइल

क्लोराइड सस्पेंशन ग्रेड' के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को आगे एक वर्ष की अवधि के लिए 22 जनवरी, 2014 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 888 (अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स जियांग सी झेंगडा सिरामिक्स कं॰ लि॰—चीन जनवादी गणराज्य द्वारा उत्पादित और मेसर्स फोशन जेड एण्ड डी सिरामिक्स लि॰—चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित 'विट्रीफाइड पोर्सिलीन टाइल्स' को 23 मई, 2011 से प्रतिपाटन शुल्क के उदग्रहण से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 889 (अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स जियांग सी झेंगडा सिरामिक्स कं॰ लि॰—चीन जनवादी गणराज्य द्वारा उत्पादित और मेसर्स फोशन जेड एण्ड डी सिरामिक्स लि॰—चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित 'विट्रीफाइड पोर्सिलीन टाइल्स' को 23 मई, 2011 से प्रतिपाटन शुल्क के उदग्रहण से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा॰का॰नि॰ 890 (अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित 'सोडियम हाइड्रोसल्फाइट' के आयात पर प्रति मीट्रिक टन 435.39 अमरीकी डालर की दर से आगे पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 891(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय के मध्यावधि अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित 'केबल टाइज' पर प्रतिपाटन शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 921(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कोलिन क्लोराइड' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए

60.79 प्रतिशत की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 924(अ) जो 24 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान (चीनी ताइपे) और इजराइल में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फ्थैलिक एन्हाइड्राइड' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 912(अ) जो 20 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में इलेक्ट्रानिक इन्सुलेटरों के किए जाने वाले आयात पर पहले वर्ष के लिए 35 प्रतिशत, मूल्यानुसार, की दर से और एक वर्ष के पूरा हो जाने के बाद से 31 दिसम्बर, 2013 तक 25 प्रतिशत, मूल्यानुसार, की दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 15(अ) जो 4 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयातित किए जाने पर सीमा-शुल्क अधिनियम के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील-304 ग्रेड (1605 मिमी की अधिकतम चौड़ाई तक) पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 200 दिन की अवधि के लिए 20 प्रतिशत की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

*(24) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराह्न 2.00 बजे।

(26) (एक) एशियन सेंटर फॉर इंटरप्रेन्यूरियल इनिशिएटिव्स, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियन सेंटर फॉर इंटरप्रेन्यूरियल इनिशिएटिव्स, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) जम्मू और कश्मीर डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जम्मू और कश्मीर डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2917 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 163 (हैदराबाद-भुपालापतनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2129 (अ) जो 11 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 20 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को भूमि का अर्जन किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2514 (अ) जो 17 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला भूमि अर्जन अधिकारी, पलामू को झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 98 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 2800 (अ) जो 27 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला भूमि अर्जन अधिकारी, गढ़वा को झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 75 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि अपनी 27 फरवरी, 2013 को हुई बैठक में, राज्य सभा ने प्रस्ताव स्वीकृत किया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा मैसर्स ऑगस्टा वेस्टलैंड से वीवीआईपी हैलीकॉप्टरों की खरीद में रिश्वत दिए जाने के आरोप तथा लेन-देन में कथित दलालों की भूमिका की जांच के लिए दोनों सभाओं की एक 30 सदस्यीय संयुक्त समिति, जिसमें 10 सदस्य राज्य सभा से और 20 सदस्य लोक सभा से हों, गठित की जाए तथा यह कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है:—

1. श्रीमती रेणुका चौधरी
2. श्री बीरेन्द्र सिंह
3. श्री जेसुदासु सीलम
4. डॉ॰ योगेन्द्र पी॰ त्रिवेदी
5. प्रो॰ रामगोपाल यादव
6. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
7. श्री टी॰के॰ रंगराजन

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिसवाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012" के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ काकोली घोष दस्तिदार ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 165वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 166वां प्रतिवेदन।

(3) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 के बारे में 167वां प्रतिवेदन।

(4) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012 के बारे में 168वां प्रतिवेदन।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रक्षा मंत्री ने श्री पूर्णमासी राम, संसद सदस्य द्वारा 'केन्द्रीय भण्डार से उपहार' के बारे में 17 दिसम्बर, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3754 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) श्रम और रोजगार मंत्री की ओर से श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 4 मार्च, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

10. राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,

ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

श्री पवन कुमार बंसल ने वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

श्री पवन कुमार बंसल ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन:समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.00 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश में मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री के॰एस॰ अलागिरी द्वारा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को सहायता देने के लिए तमिलनाडु में कुड्डालौर पत्तन का नवीनतम आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुजान गंगा झील और ऐतिहासिक किले का नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री मानिक टैगोर द्वारा भारतीय सिनेमा में स्टंट नृत्य-निर्देशकों और स्टंटमैन की श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री सुरेश कलमाडी द्वारा पुणे मैट्रो रेल परियोजना प्लान में मोनोरेल को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा सैन्य अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों, जिनकी फसल बेमौसमी भारी वर्षा के कारण नष्ट हो गई है, को बीमा दावा प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री भक्त चरण दास द्वारा कालाहांडी, उड़ीसा में एक सैन्ट्रल मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा हेमोफिलिया और थैलेसीमिया को नि:शक्तता विधेयक, 2012 में शामिल करने ताकि उन्हें अधिकारिक नि:शक्तता का दर्जा प्राप्त हो सके, की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के बीकानेर जिले में जमसार से खजुवाला बरास्ता नुरसार और पुगल से सड़क को शीघ्र चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर सीएनजी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सोरऑन तहसील में सब्जियों के भण्डारण की सुविधा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री ई॰जी॰ सुगावनम द्वारा हाथियों के संकट से संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में वन संरक्षण क्षेत्र के चारों ओर सौर ऊर्जा चालित बाढ़ लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. एडवोकेट ए॰ सम्पत द्वारा सर्व शिक्षा अभियान और एमपीलैड्स के अन्तर्गत आबंटित धनराशि की उपलब्धता देश में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को उपलब्ध कराए

जाने के नियमों और मानदण्डों को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा विधानमंडल परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मताधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी द्वारा देश में और अधिक राज्यों का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.04 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 5 मार्च, 2013 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—5333LS(S4)—04.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 5 मार्च, 2013/14 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 290

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1256 और 1258—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 36(अ) जो 3 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की

अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2155(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 871(अ)/एस्स.कॉम/शुगर जो 3 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2011-2012 के शुगर सीज़न के लिए गन्ने का फैक्ट्रीवार उचित और लाभकारी मूल्य अधिसूचित किया गया है।

(दो) अनंतिम चीनी (2011-2012 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश, 2012 जो 3 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 872(अ)/एस्स.कॉम/शुगर में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अनंतिम चीनी (2009-2010 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश, 2012 जो 3 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 873(अ)/एस्स.कॉम/शुगर में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा॰का॰नि॰ 56(अ) जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 मई, 1968 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 993(अ)/ एस्स.कॉम/गुड में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 292(अ) जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 मई, 2012 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1059(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(7) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा संशोधन नियम, 2013 जो 1 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2012-13 का संख्यांक 22)—एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम, महिला और बाल विकास मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वित्त मंत्रालय) (2013 का संख्यांक 3)—कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत स्कीम, 2008 के कार्यान्वयन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(11) उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास तथा अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2013 जो 24 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 44(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3)के अंतर्गत गोंद कड़ाया श्रेणीकरण और विपणन नियम, 2013 जो 24 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 45(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 280(अ) जो 28 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देशों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 281(अ) जो 28 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 198(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

4. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करूणाकरन ने ''विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोक सभा की प्राय: पुनरावृत्त सिफारिशों के गैर-कार्यान्वयन'' के बारे में इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) का की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012# के बारे में पैंसठवां प्रतिवेदन।

पैंसठवां और छियासठवां प्रतिवेदन, अध्यक्ष लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 16 फरवरी, 2013 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

(2) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012# के बारे में छियासठवां प्रतिवेदन।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्री ने 'महाराष्ट्र में भंडारा बलात्कार घटना' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा की मजदूरी दरों में संशोधन के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

कुंवर रेवती रमण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा श्री सर्वे सत्यनारायण को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर 6 दिसम्बर, 2012 को समिति से उनके त्यागपत्र के कारण लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अपने में से लोक सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, श्री पी॰ चिदम्बरम और श्री निनोंग ईरींग को क्रमश: वित्त मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर उनकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाने के कारण राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

पैंसठवां और छियासठवां प्रतिवेदन, अध्यक्ष लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 16 फरवरी, 2013 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

(1) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा ट्रेन संख्या 18311/18312 के इलाहाबाद तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में फसल बीमा को फसल की कटाई के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ जी॰ विवेकानन्द द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पेड्डापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओपन कास्ट माइनिंग आरंभ किए जाने से पूर्व लोगों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री के॰ पी॰ धनपालन द्वारा चालाकुडी, केरल में कोर्ट रोड जंक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर प्रस्तावित अंडरपास के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एन॰ के॰ राघवन द्वारा भारतीय कामगारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खाड़ी देशों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा मध्य प्रदेश की धानक जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिभाऊ एम॰ जावले द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खेतों को जोड़ने वाली सड़कों में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजना मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री विष्णु पद राय द्वारा दसवें द्वीप विकास प्राधिकरण की बैठक के निर्णय को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी द्वारा अहमदाबाद और मुम्बई के बीच उच्च गति रेल परियोजना को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 की मरम्मत का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उन किसानों, जिनकी फसल पाला और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई है, को प्रतिकर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्वतंत्रतापूर्व युग के समाज सुधारक मदारी पासी के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली हाथियों के संकट को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती जे॰ हेलेन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समुद्र में डूबने का संकट झेल रहे गांवों को सुरक्षित करने के लिए समुद्र तट पर रोधिकाओं का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰ करूणाकरण द्वारा केरल में नारियल कृषकों की सहायता के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री चन्द्रकान्त खैरे द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संभाजी नगर में मिनी पासपोर्ट केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश में उन किसानों, जिनकी फसल बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई है, को प्रतिकर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार स्थित विमान पत्तन को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री राजू शेट्टी द्वारा मेडीक्लेम पॉलिसियों के अन्तर्गत आयुर्वेद उपचार प्रणाली को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.06 बजे

(लोक सभा बुधवार, 6 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—5402LS(S4)—05.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 6 मार्च, 2013/15 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 291

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 18(अ) जो 10 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 649(अ) में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियम, 1977 का निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) रिसर्च एण्ड इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) रिसर्च एण्ड इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राजीव विद्या मिशन, सर्व शिक्षा अभियान (पूर्ववर्ती आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्), हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव विद्या मिशन, सर्व शिक्षा अभियान (पूर्ववर्ती आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद्), हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिल्चर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिल्चर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी ऑफ दमण और दीव, दमण के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी ऑफ दमण और दीव, दमण के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 79(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1548(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायरलेस डाटा सेवाओं के लिए सेवाओं की गुणवत्ता का प्रतिमानक विनियम, 2012 जो 4 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 305-12/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केबल लैंडिंग स्टेशन्स अभिगम सुसाध्यीकरण प्रभार तथा सह-अवस्थिति प्रभार विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 416-5/2012-एनएसएल-आई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ब्रॉडबैंड सर्विस की सेवा की गुणवत्ता (संशोधन) विनियम, 2012 जो 24 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 305-21/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रेल मंत्री ने ''26 फरवरी, 2013 को रेल बजट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची में शुद्धि'' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) पोत परिवहन मंत्री की ओर से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के प्रत्येक ब्लाक में आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ थोकचोम मैन्या द्वारा मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 का निरसन किए जाने तथा राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा देश के आंग्ल-भारतीय समुदाय बहुल शहरों में आंग्ल-भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में उन किसानों, जिनकी फसलें पाले और ठंडी हवाओं के कारण नष्ट हो गई हैं, को पर्याप्त प्रतिकर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हेमानन्द बिसवाल द्वारा उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में बीएसएनएल टावरों को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा महाराष्ट्र में मुरूर रेलवे स्टेशन पर लातुर एक्सप्रेस (ट्रेन सं॰ 22107/22108) को ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रावसाहेब दानवे पाटील द्वारा महाराष्ट्र के धांगर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शमिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गणेश सिंह द्वारा उन किसानों, जिनकी कृषि भूमि के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन विद्युत लाइनों के कारण जान और फसल की हानि होती है, को प्रतिकर का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंकलेश्वर में ओएनजीसी के सरकारी क्षेत्र उपक्रम में संविदा श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड में टिहरी बांध के आरपार जाने वाले पैदल यात्रियों को मार्ग उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री विजय बहादुर सिंह द्वारा मिड-डे मील योजना को पुन: चालू किए जाने तथा योजना के प्रबंधन से शिक्षण कर्मचारियों को कार्यमुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार में पिपरा से उत्तर प्रदेश में कास्या तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 28 को चार लेनों वाला बनाए जाने के कार्य को आरंभ करने तथा बिहार के गोपालगंज जिले में कमला राय चौक, राजमार्ग पर एक उपरिपुल का निर्माण भी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ रत्ना डे॰ नाग द्वारा देश में किन्नरों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा देश में कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली कुर्माली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰ आनंदन द्वारा चेन्नई एगमोर-गुरूवयूर-चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस तथा चेन्नई एगमोर-त्रिवेन्द्रम अनंतपुरी एक्सप्रेस ट्रेनों को उलुन्द्रपेट रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा उड़ीसा के गंजम जिले में प्रस्तावित बारहमासी गोपालपुर पत्तन का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में निवेदन।

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. कुंवर रेवती रमन सिंह
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री शरद यादव
5. श्री सुदीप बंद्योपाध्याय
6. श्री बसुदेव आचार्य
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री अनंत गंगाराम गीते

9. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री संजय निरूपम
12. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
13. श्री लालू प्रसाद
14. श्री एच॰डी॰ देवगौडा
15. श्री प्रबोध पांडा

श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्री पी॰के॰ बिजु और डॉ॰ अजय कुमार सहयोजित हुए।

श्री कमल नाथ ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.59 बजे

7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 11 घन्टे 47 मिनट

श्री पी॰सी॰ चाको द्वारा 27 फरवरी, 2013 को पेश तथा डॉ॰ गिरजा व्यास द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्याधिक आभारी हैं'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ चिंता मोहन *(अपना भाषण शुरू किया)*
2. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

*3. श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला

*4. श्री गणेश सिंह

*5. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*6. श्री एम० कृष्णास्वामी

*7. डॉ० रत्ना डे० नाग

*8. श्री हरिभाऊ माधव जावले

*9. श्री एन० पीताम्बर कुरूप

*10. श्रीमती रामा देवी

*11. श्री रतन सिंह

*12. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

*13. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*14. श्री एस० सेम्मलई

*15. श्री पी० राजेन्द्रन

*16. श्री के० सुगुमार

*17. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह

*18. श्री पी० डी० राय

*19. श्री पन्ना लाल पुनिया

*20. श्री राम सिंह कस्वां

21. श्री शरद यादव

22. श्री एच० डी० देवगौडा

23. श्री टी० के० एस० इलेंगोवन

24. श्री बसुदेव आचार्य

*25. श्री ओ० एस० मणियन

*26. श्री सी० शिवासामी

*27. श्री ए० के० एस० विजयन

*28. श्री एस० एस० रामासुब्बु

*29. श्री आदि शंकर

*30. श्री ई० जी० सुगावनम

31. श्री एन० कृष्टप्प

*32. श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*33. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन

*34. प्रो॰ शेख सैदुल हक

*35. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील

36. श्री संजय सिंह चौहान

*37. डॉ॰ अरविंद कुमार शर्मा

*38. श्रीमती ज्योति धुर्वे

39. श्री प्रबोध पांडा

*40. श्री नारनभाई कछाडिया

*41. श्री मुरारी लाल सिंह

*42. एडवोकेट ए॰ सम्पत्त

43. श्रीमती श्रुति चौधरी

*44. श्री पूनम वी॰ जाट

45. श्री योगी आदित्यनाथ

*46. श्री आर॰ थामराईसेलवन

47. श्री नृपेन्द्र नाथ राय

*48. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*49. श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

*50. श्री समीर भुजबल

51. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*52. श्री सतपाल महाराज

53. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

54. श्री कामेश्वर बैठा

*55. श्री विष्णु पद राय

*56. डॉ॰ भोला सिंह

57. डॉ॰ अजय कुमार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

58. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

59. श्री असादूद्दीन ओवेसी

*60. कुमारी सरोज पाण्डे

61. श्री थोल तिरूमावलावन

*62. श्री चंदूलाल साहू

*63. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी

*64. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा

*65. श्री पशुपति नाथ सिंह

66. मौलाना बदरूद्दीन अजमल

*67. श्री नवीन जिन्दल

*68. श्री वीरेन्द्र कश्यप

69. श्रीमती पुतुल कुमारी

*70. श्री मानिक टैगोर

71. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी

*72. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*73. डॉ॰ थोकचोम मैन्या

74. श्रीमती जे॰ हेलेन डेविडसन

75. श्री गोरखनाथ पाण्डेय

*76. श्री वीरेन्द्र कुमार

*77. श्री कुंवरजीभाई एम॰ बवालिया

*78. श्री राकेश सचान

*79. श्री रामकिशुन

*80. श्री घनश्याम अनुरागी

*81. श्री अर्जुन मेघवाल

*82. श्रीमती संतोष चौधरी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

डॉ॰ मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#सायं 7.37 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 7 मार्च, 2013 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

#सायं 6.51 बजे से सायं 7.37 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5434LS(S4)—06.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 292

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री कृष्ण कुमार चौधरी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 142 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 143—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बॉयोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बॉयोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-1996 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-1996 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-1997 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-1997 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-1998 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-1998 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल जूडिशियल अकादमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूडिशियल अकादमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स इंटेग्रेटेड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स इंटेग्रेटेड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 93(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक बैंककारी कम्पनी को उक्त अधिनियम की धारा 5 और 6 के उपबंधों के प्रयोग से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (भूमि का विकास तथा अन्य संकर्म) विनियम, 2012 जो 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल (वैगन की ओवरलोडिंग के लिए दंडात्मक प्रभार) (संशोधन) नियम, 2012 जो 17 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को सुकर बनाने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए मानदंडों में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मारोतराव एस॰ कोवासे द्वारा महाराष्ट्र में नागभीड और नागपुर के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री कमल किशोर द्वारा उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री के॰ सुधाकरण द्वारा सड़क राज्य परिवहन निगमों को आम उपभोक्ता के समान किफायती दरों पर डीजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा डेंगू को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु के दक्षिण जिलों, विशेष रूप से तिरूनेलवेली को चिकित्सा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदरसों के शिक्षकों की नौकरियों को नियमित करने के साथ-साथ उन्हें वेतन प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा ओएनजीसी द्वारा असम के तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिन पाठक द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में एक नया ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में संथाल परगना के पाकुर, दुमका और देवधर जिलों में विकास को बल प्रदान करने के लिए इन जिलों को एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री के॰डी॰ देशमुख द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में बच्चों को बढ़ी हुई दरों के अनुसार भोजन दिए जाने तथा आंगनवाड़ियों में रसोइयों के मानदेय में भी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, नोएडा में मैसर्स देवू मोटर्स के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में एमपीलैड परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गणेशराव एन॰ दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र में भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री जोस॰ के मणि द्वारा ईपीएस पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.04 बजे

7. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 06 मिनट

श्री टी॰आर॰ बालू ने श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री एस॰ अलागिरी
5. श्री दारा सिंह चौहान
6. श्री जगदीश शर्मा
7. प्रो॰ सौगत राय
8. श्री पी॰आर॰ नटराजन
9. श्री पी॰ लिंगम
10. श्री भर्तृहरि महताब

*11. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

*12. श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

*13. श्री सुवेन्दु अधिकारी

*14. श्री एस॰ सेम्मलई

15. श्री शरद यादव
16. श्री दयानिधि मारन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*17. श्री अर्जुन मेघवाल

18. श्री लालू प्रसाद

19. श्री ए॰ गणेशमुर्ति

20. श्री तिरूमावलावन

*21. श्री सी॰ शिवासामी

22. श्री नामा नागेश्वर राव

23. डॉ॰ अजय कुमार

*24. श्रीमती जे॰ हेलेन डेविडसन

25. डॉ॰ तरुण मंडल

*26. श्री आर॰ थामराईसेलवन

*27. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

*28. श्री नारनभाई कछाड़िया

श्री सलमान खुर्शीद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अपराह्न 4.11 बजे

8. I. (एक) बजट (रेल) 2013-2014; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2013-2014; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2012-2013; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें — 2010-2011

II. सरकारी संकल्प — पेश किया गया

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 3 घंटे 49 मिनट
शेष समय : 8 घंटे 11 मिनट

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के तीसरे प्रतिवेदन, जिसे 18 मई, 2012 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के लिए पैरा 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81 और 82 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ संयुक्त चर्चा के लिए ली गईं:—

(एक) सरकारी संकल्प;

(दो) बजट (रेल) — 2013-2014 पर सामान्य चर्चा;

(तीन) वर्ष 2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(चार) वर्ष 2012-2013 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 8 से 10, 13 और 16; और

(पांच) वर्ष 2011-2012 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 3 से 8 और 10 से 13

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
2. श्री जगदम्बिका पाल
*3. श्री मोहन जेना
*4. श्री रुद्रमाधव राय
*5. श्री वीरेन्द्र कश्यप
*6. श्रीमती कमला देवी पटले
*7. श्री मकनसिंह सोलंकी
*8. श्रीमती ज्योति धुर्वे
*9. एडवोकेट गणेशराव दूधगांवकर
*10. श्री गजानन ध० बाबर
*11. श्री सोहन पोटाई
12. श्री धनंजय सिंह
*13. श्री विष्णु देव साय
*14. श्री दिनेश चन्द्र यादव
*15. श्री वीरेन्द्र कुमार
16. श्री सुवेन्दु अधिकारी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

17. डॉ॰ रामचन्द्र डोम
18. श्री वैजयंत पांडा
19. श्री चन्द्रकांत खैरे
20. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
21. डॉ॰ तरुण मंडल
*22. श्री चंदूलाल साहू
23. श्री माणिकराव होडल्या गावित
*24. श्री पी॰ के॰ बिजू
*25. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
*26. श्री अशोक कुमार रावत
27. श्री गणेश सिंह *(भाषण अपूर्ण)*

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 8.40 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 8 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 8.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5471LS(S4)—07.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 8 मार्च, 2013/17 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 293

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सेन्टर फॉर विन्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्टर फॉर विन्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2012 जो

13 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के जुलाई, 2011 से जून, 2012 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत में आवास के रुख और प्रगति (राष्ट्रीय आवास बैंक) 2012 के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(8) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता की जांच की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 920(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) 'आयातकों और निर्यातकों के परिसरों में स्थानिक शोधनोत्तर लेखापरीक्षा (संशोधन) विनियम, 2012' जो 27 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 936(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 70(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 132(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 133(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 75/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 134(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 9/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 135(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 136(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 19/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 137(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 138(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) बैगेज (संशोधन) नियम, 2013 जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 139(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2012, जो भारत के राजपत्र में 4 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2365(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्रोत पर काटे गए कर की विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रक्रिया स्कीम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 15 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 169(अ) में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 308(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) निर्वाचक न्यास स्कीम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 309(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 11 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 886(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 894(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से प्राप्ति तथा उनको संदायगी के बारे में हैं।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 896(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा लेखा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 915(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 916(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा॰का॰नि॰ 944(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'प्रतिभूति' की परिभाषा के बारे में हैं।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 945(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियम, 2012 जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 946(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 947(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 17 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1(अ) जो 1 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक और राजस्थान ग्रामीण बैंक का बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 60(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नीलांचल ग्राम्य बैंक, कलिंगा ग्राम्य बैंक और बैतरनी ग्राम्य बैंक का ओडिशा ग्राम्य बैंक के रूप में समामेलन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2969(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण मध्य भारत ग्रामीण बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक और रीवा सिधी ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2970(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2971(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 2972(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2973(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक और झबुआ धर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2974(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण उत्तरांचल ग्रामीण बैंक और नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय बैंक के विघटन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2975(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो समामेलन के कारण चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक और कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 2976(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्राम्य बैंक के विघटन के बारे में है।

(13) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 152(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 153(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 154(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के अंतर्गत 'निवासी पब्लिक लिमिटेड कंपनी' को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2012 जो 30 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 858(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 140(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 17/2007-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 141(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 20/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 142(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्र से संबंधित छूट का उपभोग करने वाली यूनिटों द्वारा माल के विनिर्माण में आबद्ध रूप से खपाए गए मध्यवर्ती माल, को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 143(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 7/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 144(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 145(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 146(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 147(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 148(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2013 जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 149(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2013 जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 150(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 151(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 23क के खण्ड (ग) के उपखण्ड (3) के अंतर्गत 'निवासी पब्लिक लिमिटेड कंपनी' को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

***4. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण; और

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पबन सिंह घाटोवार ने 11 मार्च, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

6. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री पी० चिदम्बरम ने वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

*अपराह्न 12.10 बजे।

7. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वर्ष 2010–11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.11 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

अपराह्न 12.15 बजे

9. सदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. डॉ॰ गिरिजा व्यास
3. श्रीमती सुशीला सरोज
4. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
5. श्री शरद यादव
6. डॉ॰ बलीराम
7. डॉ॰ काकोली घोष दस्तिदार
8. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
9. श्री गुरूदास दास गुप्त
10. श्री एम॰ तम्बिदुरई
11. श्रीमती जे॰ हेलेन डेविडसन
12. श्रीमती सुमित्रा महाजन
13. श्रीमती कृष्णा तीरथ
14. श्री एच॰ डी॰ देवेगौड़ा
15. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
16. श्रीमती रत्ना डे नाग
17. डॉ॰ महबूब बेग
18. श्रीमती पुतुल कुमारी

निम्नलिखित सदस्य उक्त विषय से सहयोजित हुए:—

1. श्रीमती दर्शना जरदोश
2. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
3. श्री पन्ना लाल पुनिया
4. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बु
5. श्री जगदम्बिका पाल
6. श्री थोल थिरूमावलावन

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने अपना समापन उल्लेख किया।

अपराह्न 2.04 बजे

10. I. सरकारी संकल्प

II. (एक) बजट (रेल)-2013-2014; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)-2013-2014; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2012-2013; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—2010-2011

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 5 घंटे 15 मिनट
शेष समय : 6 घंटे 45 मिनट

आगे संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) 7.03.2013 को पेश किया गया सरकारी संकल्प;

(दो) बजट (रेल)-2013-2014 पर सामान्य चर्चा;

(तीन) वर्ष 2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(चार) वर्ष 2012-2013 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 8 से 10, 13 और 16; और

(पांच) वर्ष 2010-2011 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 3 से, 8 और 10 से 13।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गणेश सिंह (भाषण पुन: आरंभ किया)
*2. डॉ॰ महबूब बेग
*3. डॉ॰ रत्ना डे नाग
*4. श्री श्रीपाद येसो नाईक
*5. डॉ॰ तुषार चौधरी
6. श्रीमती अन्नू टन्डन
*7. श्री रामसिंह राठवा
*8. श्री आर॰ थामराईसेलवन
*9. श्री राम सिंह कस्वां
*10. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा
*11. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
12. श्री शेर सिंह घुबाया
*13. श्री पी॰ डी॰ राय
*14. श्री एन॰ पीताम्बर कुरूप
*15. श्री संजय दिना पाटील
16. श्री अधीर रंजन चौधरी
17. डॉ॰ अजय कुमार
18. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
*19. श्री कमल किशोर कमांडो
*20. श्री सज्जन वर्मा
*21. श्री हंसराज गं॰ अहीर
*22. श्री राकेश सचान
*23. श्री रायापति सांबासिवा राव
24. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 3.30 बजे

11. प्रस्ताव

प्रो॰ सौगत राय ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा क्रमश: 27 फरवरी और 6 मार्च, 2013 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 30वें और 31वें प्रतिवेदनों से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि संकल्पों के लिए समय के नियतन के संबंध में 30वें प्रतिवेदन के पैरा 6 और पैरा 7 के उप-पैरा (चार) का लोप किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. सरकारी सदस्यों के विधेयक — पुर:स्थापित

(1) श्रीमती प्रिया दत्त का निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2011

(2) श्रीमती प्रिया दत्त का लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2011

(3) श्रीमती प्रिया दत्त का नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011 (धारा 33 का संशोधन)।

(4) श्री वरूण गांधी का निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2013

(5) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (नई धारा 304कक का अंत: स्थापन)।

(6) श्री हमदुल्लाह सईद का लक्षद्वीप नारियल वृक्ष आरोहक (कल्याण) आरोहक विधेयक, 2012

(7) श्री कालीकेश नारायण सिंह देव का पक्ष प्रचारण के क्रियाकलापों का प्रकटीकरण विधेयक, 2013

(8) डॉ॰ काकोली घोष दस्तिदार का जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2013

(9) श्री रमेन डेका का अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2013

(10) डॉ॰ भोला सिंह का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 304क का संशोधन, आदि)।

(11) डॉ॰ भोला सिंह का बालक कल्याण विधेयक, 2013

(12) डॉ॰ भोला सिंह का अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक, 2013

(13) श्री हंसराज गं॰ अहीर का चारा बैंक विधेयक, 2013

(14) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (नए अनुच्छेदों 16क और 16कक का अंत:स्थापन)

(15) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(16) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (नए अनुच्छेद 72क का अंत:स्थापन)

(17) श्री सुरेश काशीनाथ तवारे का पावरलूम सेक्टर (कल्याण) विधेयक, 2013

(18) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2013

(19) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

(20) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (नए अनुच्छेद 30क का अंत: स्थापन)।

श्री जे॰पी॰ अग्रवाल ने अध्यक्ष पीठ से अनुरोध किया कि संशोधनकारी विधेयकों की विषय-वस्तु को जानने के लिए कार्य-सूची में उनके उद्देश्य परिलक्षित किए जाने चाहिए।

तत्पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिपपणी की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि कार्यसूची में संशोधनकारी विधेयकों के उद्दश्यों का उल्लेख करने के लिए श्री जे॰पी॰ अग्रवाल का अनुरोध व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद से गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य-सूची में सभी गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के सामने विधेयक संख्या का उल्लेख किया जाए ताकि सदस्य उनके उद्देश्यों को देखने के लिए विधेयक का अवलोकन कर सकें।''

अपराह्न 3.47 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक — वापस लिया गया

श्री हंसराज गं॰ अहीर का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा 22.02.2013 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :—

1. श्री अर्जुन मेघवाल (भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री हुकमदेव नारायण सिंह यादव
5. श्री एस॰ सेम्मलई
6. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
7. डॉ॰ भोला सिंह
8. श्री रमेन डेका
9. श्री वीरेन्द्र कश्यप
10. श्री जगदम्बिका पाल
11. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

श्री प्रदीप जैन आदित्य ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री हंसराज गं॰ अहीर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

सायं 6.01 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — विचाराधीन

श्री अर्जुन मेघवाल का सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011

श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई।

उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.41 बजे

(लोक सभा सोमवार, 11 *मार्च,* 2013 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

दिनांक 7.03.2013 के समाचार भाग-1

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ा जाए
9	4	वर्ष 2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16;	वर्ष 2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

* सायं 6.02 बजे से सायं 6.41 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5548LS(S4)—08.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 294

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति श्री ह्यूगो शावेज के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 - 184 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 185 - 200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071-2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 से 2010-2011 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 से 2010-2011 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 26(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राज्य अभिकरणों को जूट वर्ष 2012-13 के लिए 3.48 लाख गट्ठरों की कुल मात्रा की सीमा तक 31 अक्तूबर, 2012 के आदेश सं॰ का॰आ॰ 2659(अ) का प्रचालन करने से छूट दी गई है।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 273(अ) जो 24 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) संसदीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2013-14 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) तटरक्षक बल अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक , समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 जो 26 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰नि॰आ॰ 8 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) रक्षोपाय (परिमाणात्मक निर्बंधन) नियम, 2012 के नियम 3(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 58(अ) जो 31 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ श्री मुकेश भटनागर, विदेशी व्यापार अपर महानिदेशक को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क की उपधारा (4) (क) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 59(अ) जो 31 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9(क) के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित देशों को विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 289(अ) जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 21(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2013 जो 1 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 60(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2013 जो 14 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 80(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(21) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का॰आ॰ 1574(अ) जो 13 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय परमिट खाते के ब्यौरे तथा उस खाते में जमा किए गए समेकित शुल्क में से राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के शेयर को अधिसूचित किया गया है।

(दो) केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 2012 जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2(अ) जो 1 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल-बीओरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 44(अ) जो 4 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 45(अ) जो 4 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 (केरल-कर्नाटक सीमा से कोल्लेगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 85(अ) और का॰आ॰ 86(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 217(अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 48(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 385(अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (व्यावर-बघाना) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

5. राज्य सभा से संदेश

कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा की इस सिफारिश पर कि लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की अवधि के शेष भाग के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त श्री तारिक अनवर के स्थान पर समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया जाए पर सहमति व्यक्त की और डॉ॰ जनार्दन वाघमरे, राज्य सभा सदस्य, जिन्हें उक्त समिति में निर्वाचित किया गया है, के नाम की सूचना भी दी।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्री जोस के॰ मणि, संसद सदस्य द्वारा 'जीएम प्रौद्योगिकी की संरक्षा' के बारे में 17 दिसम्बर, 2012 को पूछे गऐ अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री कमल नाथ ने कार्य मंत्रणा समिति का 45वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

कृषिक जैव-सुरक्षा विधेयक, 2013

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री एंटो एंटोनी द्वारा पड़ोसी देशों से इलायची की हो रही तस्करी को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री एम॰ कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु में अरानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुट्टेरापट्टू गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर एक पुल अथवा अन्डरपास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री रतन सिंह द्वारा भरतपुर, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियाई हंसों के लिए प्रजनन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री पी॰ टी॰ थॉमस द्वारा देश में बागवानी श्रमिकों की पेंशन की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा नाभिकीय विकिरण द्वारा कारित रोगों के उपचार के लिए तमिलनाडु में कलपक्कम में एक मल्टी-स्पेशिएलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री के॰ पी॰ धनपालन द्वारा केरल की अंगमाली-सबरी रेल परियोजना को शीघ्र पूर्ण किए जाने तथा उक्त परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि के स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयनागाराम टाउन में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पोली-क्लीनिक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा झांसी और छत्तरपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाले एक्सप्रेस हाईवे में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री कीर्ति आजाद द्वारा बिहार में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए ब्याज की रियायती दर पर **ऋण** उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल द्वारा देश में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने तथा उसके भण्डारण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार में छपरा से थावे बारास्ता मसरख-गोपालगंज रेलवे लाईन को बड़ी लाईन में बदले जाने तथा गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शैक्षणिक इंस्टिट्यूट ऑफ लोजिस्टिक्स मैनेजमेंट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा देश में वृद्ध-व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा आंध्र प्रदेश में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री जगदानंद सिंह द्वारा भूमि से बेदखल किए जा रहे उन लोगों, जिनकी जमीन बिहार के बांका जिले में बौसी खण्ड में ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना करने के लिए अर्जित की जा रही है, को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्रीमती पुतुल कुमारी द्वारा बिहार में पेराधा समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

10. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर—सहमति

@महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2012

विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा पेश किया गया।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 3 में, ''तिरसठवें'' के स्थान पर ''चौसठवें'' प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 7 में, ''2012'' के स्थान पर ''2013'' प्रतिस्थापित किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधन पर सहमति दी गई।

अपराह्न 12.06 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

यमुना नदी के कथित रूप से सूखने और उसमें प्रदूषण के बारे में

श्रीमती सुषमा स्वराज ने यमुना नदी के कथित रूप से सूखने और उसमें प्रदूषण के बारे में निवेदन किया।

श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री अर्जुन मेघवाल और श्री वीरेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

श्रीमती जयंती नटराजन ने उत्तर दिया।

अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सभा की भावना को व्यक्त करते हुए एक टिप्पणी की।

@ लोक सभा द्वारा 3 सितम्बर, 2012 को विधेयक पारित किया गया और उसे राज्य सभा की सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा में 26 फरवरी, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसे 27 फरवरी, 2013 को लोक सभा को लौटा दिया।

अपराह्न 12.24 बजे

12. **I. सरकारी संकल्प**

II. (एक) बजट (रेल)-2013-14; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)— 2013-2014; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2012-2013; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 2010-2011

लिया गया समय: 13 घंटे 19 मिनट

आगे संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) 7.03.2013 को पेश किया गया सरकारी संकल्प;

(दो) बजट (रेल) — 2013-2014 पर सामान्य चर्चा;

(तीन) वर्ष 2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(चार) वर्ष 2012-2013 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 8 से 10, 13 और 16; और

(पांच) वर्ष 2010-2011 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 3 से 8 और 10 से 13।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
*2. श्री पी॰ करूणाकरन
*3. श्रीमती सुमित्रा महाजन
*4. श्री भाउसाहेब आर॰ वाकचौरे
*5. श्री रमाशंकर राजभर
6. कुंवर रेवती रमण सिंह
*7. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
*8. श्री प्रहलाद जोशी
9. श्री राधामोहन सिंह
10. श्री एच॰डी॰ देवेगौड़ा
*11. श्री पी॰टी थॉमस

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*12. श्रीमती सीमा उपाध्याय
*13. श्री कपिल मुनि करवारिया
*14. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
15. श्री जगदीश शर्मा
16. श्री एम॰बी॰ राजेश
17. श्री सतपाल महाराज
*18. श्री आनंद प्रकाश परांजपे
19. श्री संजय सिंह चौहान
20. श्री दारा सिंह चौहान
21. श्री लालू प्रसाद
*22. श्री सी॰ राजेन्द्रम
23. प्रो॰ सौगत राय
*24. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन
*25. श्री पी॰ विश्वनाथन
*26. श्रीमती इंग्रिड मैक्लॉड
*27. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
*28. श्री प्रेमदास
29. श्री ई॰ जी॰ सुगावनम
*30. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
*31. डॉ॰ पद्मसिंह बाजीराव पाटील
*32. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण
33. श्री सी॰ शिवासामी
*34. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन
35. श्री सी॰आर॰ पाटिल
*36. श्री नलिन कुमार कटील
37. श्री पी॰ लिंगम
*38. श्री मनोहर तिरकी
*39. श्री नवीन जिंदल
40. श्री ए॰ गणेश मूर्ति

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*41. श्रीमती संतोष चौधरी
42. श्री नामा नागेश्वर राव
*43. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
*44. श्री निलेश एन॰ राणे
45. श्री अशोक तंवर
*46. श्री एस॰ सेम्मलई
*47. श्री भूदेव चौधरी
*48. श्रीमती सुप्रिया सुले
*49. श्री नीरज शेखर
50. श्री एस॰डी॰ शारिक
*51. श्री ओ॰एस॰ मणियन
52. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
53. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
*54. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
55. श्री समीर भुजबल
*56. श्री हरिभाऊ जावले
57. डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा
*58. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ
59. श्री नरहरि महतो
60. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
*61. श्री शैलेन्द्र कुमार
*62. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे
63. श्री रावसाहेब दानवे पाटील
64. श्री उदय प्रताप सिंह
*65. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल
66. श्री कामेश्वर बैठा
*67. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल
*68. श्री पन्ना लाल पुनिया
69. श्री जोस के॰ मणि

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

70. श्री शिवराम गौडा
*71. श्री देवजी एम॰ पटेल
*72. श्री एम॰के॰ राघवन
73. श्री संजय निरूपम
*74. श्री एन॰ कृष्णास्वामी
*75. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
*76. श्री ध्रुवनारायण
77. श्री ओम प्रकाश यादव
*78. योगी आदित्यनाथ
*79. श्री एंटो एंटोनी
80. श्री तूफानी सरोज
*81. श्री रतन सिंह
*82. डॉ॰ बलिराम
*83. श्री अरूण सुभाषचन्द्र यादव
*84. श्री सज्जन सिंह वर्मा
85. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
86. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
*87. श्री नारायण सिंह अमलाबे
*88. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे
89. श्रीमती पुतुल कुमारी
*90. श्री रमेश बैस
*91. श्री संजय धोत्रे
*92. श्री के॰ सुगुमार
93. श्री कमलेश पासवान
*94. श्री नारनभाई कछाड़िया
*95. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
96. श्री कुवरजीभाई एम॰ बावलिया
*97. श्री बिभू प्रसाद तराई

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

98. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी
*99. श्री मानिक टैगोर
100. डॉ॰ प्रभा किशोर ताविआड
*101. श्री नित्यानंद प्रधान
*102. श्रीमती ऊषा वर्मा
*103. श्री के॰सी॰ सिंह बाबा
104. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
105. श्री राकेश सिंह
*106. श्री भर्तृहरि महताब
107. श्रीमती प्रिया दत्त
*108. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*109. श्री विजय बहादुर सिंह
*110. श्री बद्री राम जाखड़
111. श्री शेख सैदुल हक
112. डॉ॰ मोनाजिर हसन
113. श्री राजाराम पाल
114. श्री निखिल कुमार चौधरी
115. श्री यशवीर सिंह
*116. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
*117. श्री विष्णु पद राय
118. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
*119. श्री रमेन डेका
120. श्री प्रबोध पांडा
121. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
122. श्री अशोक अर्गल
123. श्री रामकिशुन
124. श्री सुशील कुमार सिंह
125. श्री भक्त चरण दास

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

126. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
127. श्री पुलीन बिहारी बासके
128. श्री राधे मोहनसिंह
129. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
130. श्री कादिर राणा
131. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा
132. श्री मिथिलेश कुमार
133. श्री महेन्द्र कुमार राय
134. श्री चार्ल्स डिएस
135. श्री नृपेन्द्र कुमार राय
136. श्री के॰ बापीराजू
*137. श्री मधु गौड यास्खी
*138. श्री अर्जुन मेघवाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 9.10 बजे

(लोक सभा मंगलवार 12 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।
#रात्रि 8.39 बजे से रात्रि 9.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5611LS(S4)—11.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 12 मार्च, 2013/21 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 295

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौथी लोक सभा के सदस्य श्री वीरेन शाह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 202—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कंज्यूमर को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंज्यूमर को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) वेयरहाउसिंग डवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेयरहाउसिंग डवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान) (संशोधन) नियम, 2012 जो 20 जनवरी, 2012 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 07/2012/एफ॰ सं॰ 6-6(1)/2003-पीआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटीज्म, सेरीब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटीज्म, सेरीब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क)(एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख)(एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (सलाह का पुनर्विलोकन करने की शक्ति) नियम, 2011 जो 3 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 360(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कोयला मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ओडिसा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिसा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

*(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(17) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 18 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

---

*अपराह्न 2.00 बजे।

(दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2012 जो 18 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2012 जो 18 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पंजीकृत किस्म के अभिधान का प्रयोग) नियम, 2012 जो 18 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 11 मार्च, 2013 को हुई अपनी बैठक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 11 मार्च, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मदुरै विमानपत्तन को अंतराष्ट्रीय कार्गो विमानपत्तन के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मानिक टैगोर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरी में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारियों जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई है, के परिवारों को पर्याप्त सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एकनाथ एम॰ गायकवाड़ द्वारा देश भर में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के संतरा उत्पादकों को वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री नारन भाई कछाड़िया द्वारा बहु ग्राम जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत गुजरात में रेल लाइनों से होकर जाने वाली पानी की पाइपलाईनें बिछाने के लिए मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रमेन डेका द्वारा असम के मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के विनिर्माण तथा मरम्मत की गुणवत्ता की उचित निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होकर बहने वाली आमी नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री तूफानी सरोज द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती कैसर जहां द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शारदा नदी के कारण आने वाली सालाना बाढ़ को रोके जाने तथा ऐसे व्यक्तियों जिनके घरों और संपत्तियों की नदी के कारण हुए भू-क्षरण की वजह से नुकसान हुआ है, का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार में सहरसा से फारबिसगंज तक रेलवे लाईन के बड़ी लाईन में परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने तथा इस कार्य के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 से होकर गुजरने वाले राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा केरल में इंडोसल्फान के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य को एक विशेष वित्तीय पैकेज की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा को केन्द्रीय पूल से पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ अजय कुमार द्वारा देश में पंचायत स्तर पर यूआईडी केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

11. एक. सरकारी संकल्प

दो. (एक) बजट (रेल)—2013-14; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2013-14; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2012-13; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2010-11

लिया गया समय : 13 घंटे 23 मिनट

आगे संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) 7.3.2013 को पेश किया गया सरकारी संकल्प;

(दो) बजट (रेल)—2013-14 पर सामान्य चर्चा;

(तीन) बजट (रेल)—2013-14 के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(चार) वर्ष 2012-13 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 8 से 10, 13 और 16; और

(पांच) वर्ष 2010-11 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 3 से 8 और 10 से 13।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखा:—

1. श्री घनश्याम अनुरागी
2. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी
3. श्री यशवंत एन॰ एस॰ लागुरी
4. श्री सिद्धांत महापात्र
5. श्री लक्ष्मण टुडु
6. श्री सोनवेणे प्रताप नारायणराव
7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
8. श्री दिलीप गांधी
9. श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी
10. डॉ॰ भोला सिंह
11. श्री के॰ जयप्रकाश हेगड़े
12. कुमारी सरोज पाण्डेय
13. श्री विश्व मोहन कुमार
14. एडवोकेट ए॰ सम्पत
15. श्री जगदीश सिंह राणा
16. श्रीमती सुशीला सरोज
17. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा
18. श्री मधुसूदन यादव

श्री पवन कुमार बंसल ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया। उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.04 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा बुधवार, 13 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

दिनांक 11.03.2013 के समाचार भाग–1 के संख्या 294 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के लिए	पढ़ा जाए
10.	क्रम संख्या 22	श्री सी॰ राजेन्द्रम	श्री सी॰ राजेन्द्रन
11	क्रम संख्या 44 के पश्चात् जोड़ा जाए	क्रम संख्या 45* श्री बलीराम जाधव	
14	क्रम संख्या 135	श्री नृपेन्द्र कुमार राय	श्री नृपेन्द्र नाथ राय

GMGIPMRND—5632LS(S4)—12.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 13 मार्च, 2013/22 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 296

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री कुमार माझी; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री टिंडीवनम जी॰ वेंकटरमन; तथा पांचवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती माया राय के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—224 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 225—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और अभिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

चौदहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 27	तीसरा सत्र, 2004
2.	विवरण संख्या 28	चौथा सत्र, 2005
3.	विवरण संख्या 26	छठा सत्र, 2005
4.	विवरण संख्या 26	सातवां सत्र, 2006
5.	विवरण संख्या 22	आठवां सत्र, 2006
6.	विवरण संख्या 21	दसवां सत्र, 2007
7.	विवरण संख्या 19	बारहवां सत्र, 2007
8.	विवरण संख्या 18	तेरहवां सत्र, 2008
9.	विवरण संख्या 16	चौदहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

10.	विवरण संख्या 14	दूसरा सत्र, 2009
11.	विवरण संख्या 12	तीसरा सत्र, 2009
12.	विवरण संख्या 12	चौथा सत्र, 2010
13.	विवरण संख्या 9	पांचवां सत्र, 2010
14.	विवरण संख्या 8	छठा सत्र, 2010
15.	विवरण संख्या 6	सातवां सत्र, 2011
16.	विवरण संख्या 6	आठवां सत्र, 2011
17.	विवरण संख्या 5	नौवां सत्र, 2011

18. विवरण संख्या 4	दसवां सत्र, 2012
19. विवरण संख्या 2	ग्यारहवां सत्र, 2012
20. विवरण संख्या 1	बारहवां सत्र, 2012

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 940(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2012, जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 941(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2013, जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2013, जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2013, जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 104(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) समयोपरि भत्ता और रात्रि ड्यूटी भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम संदर्भ संख्या 2004 का 2 और 2004 का संख्यांक 6 के अन्तर्गत माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय की अस्वीकृति संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सेंटल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कोरापुट के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बिहार, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बिहार, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन दिया जाना) विनियम, 2012 जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 37-3/विधिक/एआईसीटीई/2012 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवम् अन्य अकादमी स्टाफ के लिए पदोन्नति स्कीम) (डिग्री) विनियम, 2012 जो 8 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 37-3/विधिक/एआईसीटीई/2012 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवम् अन्य अकादमी स्टाफ के लिए पदोन्नति स्कीम) (डिप्लोमा) विनियम, 2012 जो 8 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 37-3/विधिक/एआईसीटीई/2012 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम और कुशल ज्ञान प्रदाता को संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना) विनियम, 2012 जो 5 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 37-3/विधिक/एआईसीटीई/2012 में प्रकाशित हुआ था।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रिजनल), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रिजनल), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजनल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजनल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नोर्थ ईस्टर्न रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नोर्थ ईस्टर्न रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी, मण्डी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी, मण्डी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी, मण्डी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, मुम्बई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलोसॉफी एंड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलोसॉफी एंड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) योजना मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) कन्सट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) डाक विभाग के वर्ष 2013-2014 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से 8 मार्च, 2013 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

'21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।'

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मेनका गांधी ने आश्वासन छोड़ने संबंधी अनुरोध के बारे में 26वां और 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने "पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012" के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पोत परिवहन मंत्री की ओर से उत्तर-पूर्व क्षेत्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित "मुख्य पत्तनों का आधुनिकीकरण" विषय पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने के उत्तरदायी दो नाविकों के प्रत्यावर्तन के लिए इटली की सरकार द्वारा कथित इंकार किए जाने के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने के उत्तरदायी दो नाविकों के प्रत्यावर्तन के लिए इटली की सरकार द्वारा कथित इंकार किए जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री जसवंत सिंह
2. श्री बसुदेव आचार्य

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री पी॰ के॰ बीजू
2. श्री देवजी एम॰ पटेल
3. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
4. श्री श्रीपाद येसो नाईक
5. श्री अर्जुन मेघवाल
6. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
7. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
8. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री धनंजय सिंह
10. एडवोकेट ए॰ सम्पत
11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
12. प्रो॰ रामशंकर
13. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
14. श्री जितेन्द्र सिंह
15. श्री पन्ना लाल पुनिया
16. डॉ॰ तरुण मंडल
17. श्री शेख सैदुल हक
18. श्री नामा नागेश्वर राव

19. श्री धनंजय सिंह

20. श्री शिवराम गौडा

21. श्री राकेश सचान

22. श्री नीरज शेखर

23. श्री एम॰ बी॰ राजेश

24. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

25. श्री राम सिंह कस्वां

26. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

27. श्री अशोक अर्गल

डॉ॰ मनमोहन सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.27 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री एन॰ पीताम्बर कुरूप द्वारा मलयालम भाषा को श्रेण्य भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पी॰जी॰आई॰ चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब के होशियारपुर जिले में एक चिकित्सा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रघुवीर सिंह मीणा द्वारा सलूम्बर मेवाड़ के चूण्डावत सेनापति की बहादुर पत्नी रानी हाड़ा के नाम पर राजस्थान में उदयपुर से एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री के॰ सुधाकरण द्वारा केरल में धर्मार्थ आश्रयों को रियायती दर पर पर्याप्त संख्या में एल॰पी॰जी॰ सिलेण्डर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बच्चों को उत्तम शिक्षा देने से संबंधित योजना के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से की धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली में विद्युत उत्पादक संयंत्रों को पर्याप्त गैस दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले में फतेहपुर और अकबरपुर के बीच काकोलत जलप्रपात तक जाने वाली सड़क की मरम्मत किए जाने तथा उक्त जलप्रपात के आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कमलेश पासवान द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 तथा उत्तर प्रदेश के अयोध्या और बिहार के जनकपुर के बीच राम जानकी मार्ग की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग क्षेत्रों में भारी वर्षा और बादल फटने के कारण जिन परिवारों को जान-माल का नुकसान हुआ है, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर एक रेल फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री धनंजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को प्रदूषणमुक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में बख्तियारपुर से खगड़िया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य में तेजी लाने तथा बेगुसराय और खगड़िया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अब्दुल रहमान द्वारा दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों को वापस सौंपे जाने के मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा में पारादीप बंदरगाह पर और उसके आस-पास रहने वाले गरीब झुग्गी वासियों को मूलभूत जन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा फरीदकोट, पंजाब में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ तरुण मंडल द्वारा पूर्वी रेलवे के सियालदह दक्षिण मंडल में रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.28 बजे

12. **एक. सरकारी संकल्प—स्वीकृत**

दो. (एक) बजट (रेल)—2013-14; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2013-14; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2012-13; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2010-11

लिया गया समय: 14 घंटे 40 मिनट

आगे संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं :—

(एक) 7.3.2013 को पेश किया गया सरकारी संकल्प;

(दो) बजट (रेल) 2013-14 पर सामान्य चर्चा;

(तीन) बजट (रेल) 2013-14 के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(चार) वर्ष 2012-13 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 8 से 10, 13 और 16; और

(पांच) वर्ष 2010-11 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 3 से 8 और 10 से 13

निम्नलिखित सदस्यों ने अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखा:—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
2. श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार
3. श्री हरीश चौधरी
4. श्री बालकृष्ण के॰ शुक्ल

5. श्री ए॰ के॰ एस॰ विजयन

6. श्री दत्ता मेघे

7. श्री सुदर्शन भगत

श्री पवन कुमार बंसल ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा पेश किया गया निम्नलिखित सरकारी संकल्प स्वीकृत हुआ:—

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व, आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) का तीसरा प्रतिवेदन जो 18 मई, 2012 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81 और 82 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 16 की लेखानुदानों की मांगों (रेल) 2013-14 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 3, 8 से 10, 13 और 16 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) 2011-12 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2010-2011 के लिए सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 3 से 8 और 10 से 13 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

13. सरकारी विधयेक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2013

14. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2013

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2013

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2013

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम की स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

17. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2013

18. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2013

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 1.44 बजे

19. सांविधिक संकल्प

लिया गया समय: 1 घंटा 16 मिनट

श्री सुशीलकुमार शिंदे ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा झारखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डॉ॰ बलीराम
5. श्री भूदेव चौधरी
6. डॉ॰ अजय कुमार
7. श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री सुशीलकुमार शिंदे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.01 बजे

20. (एक) बजट (सामान्य) 2013-14; (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 2013-14; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2012-13; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2010-11

आवंटित समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 5 घंटे
शेष: 7 घंटे

संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं—

(एक) बजट (सामान्य) 2013-14 पर सामान्य चर्चा;

(दो) मांग संख्या 1 से 34, 36, 37, 39 से 64, 66 से 76, 78, 79 और 81 से 106 के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

(तीन) वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 4, 7, 9 से 17, 19 से 21, 30, 31 से 33, 35, 40, 45 से 50, 52 से 55, 58 से 61, 65, 66, 70, 71 73, 75, 77, 81, 84, 85, 87 से 91, 93, 95 से 97, 100 से 102 और 104 से 106

(चार) वर्ष 2010-11 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 11, 13, 21 से 23, 27, 31, 72, 101 और 102

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मुरली मनाहर जोशी
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री शरद यादव
*4. श्री सी॰ शिवासामी
*5. श्री एन॰ पीताम्बर कुरूप
6. श्री कल्याण बनर्जी
*7. श्री राधा मोहन सिंह
*8. श्री के॰सी॰ सिंह बाबा
9. श्री कालीकेश एन॰ सिंह देव
10. श्री पी॰ करूणाकरन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*11. श्री वीरेन्द्र कुमार

*12. श्री सतपाल महाराज

13. श्री आनंदराव अडसुल

14. डॉ॰ अजय कुमार

15. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

16. श्री बलीराम जाधव

*17. श्री निखिल कुमार चौधरी

18. डॉ॰ के॰ सांबासिवा राव

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 8.35 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 14 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#रात्रि 8.01 बजे से रात्रि 8.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5729LS(S4)—13.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 297

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 मार्च, 2013 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के सीआरपीएफ कैम्प में हुए आतंकी हमले में पांच सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने तथा कई अन्य लोगों के घायल होने के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 241—260 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2013-14 का परिणामी बजट।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडियन वैक्सिन कार्पोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सिन कार्पोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलोर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलोर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 का परिणामी बजट।

(तीन) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 का परिणामी बजट।

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वर्ष 2013-14 का परिणामी बजट।

(12) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रतिवेदन संख्या 240—सिविल मुकदमा की लागत—मई, 2012

(दो) प्रतिवेदन संख्या 241—अक्रिय दयाभूतप्राणांत-पुनर्विलोकन—अगस्त, 2012

(तीन) प्रतिवेदन संख्या 242—वैवाहिक संबंध की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप निवारण (सम्मान और परंपरा के नाम पर) सुझाया गया विधिक ढांचा—अगस्त, 2012

(चार) प्रतिवेदन संख्या 243—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए—अगस्त, 2012

(13) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2013-14 का परिणामी बजट।

(चार) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2013-14 का परिणामी बजट।

(16) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 204/ओआर/एएण्डई/1132 जो 01 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री और पीएचडी से संबंधित संस्थान के छात्र की छात्रवृत्ति और

पंजीयन को विनियमित करने वाले अध्यादेश संख्या 13 और 14 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा यह निदेश दिया गया है कि अध्यादेश के उक्त संशोधन इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसियंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसियंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दिउ एंड दादरा नगर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दिउ एंड दादरा नगर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निगमित कार्य मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (दस्तावेजों और प्रपत्रों का व्यापक कार्य प्रतिवेदन भाषा में फाइल किया जाना) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 869(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (भारतीय निक्षेप प्राप्तियों का निर्गमन) संशोधन नियम, 2012 जो 1 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 736(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰आ॰ 2977(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 दिसम्बर, 1989 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1060(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2978(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 388(ख), 388(ग) और 388(ङ) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में है।

(पांच) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 27 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 929(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 27 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (सातवां संशोधन) नियम, 2012 जो 27 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 931(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) उपर्युक्त (22) के मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गृह मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-एक)।

(दो) गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र) के वर्ष 2013-14 के अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-दो)।

(तीन) गृह मंत्रालय के वर्ष 2013-14 का परिणामी बजट।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पाणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कार्यकलाप के लिए शास्तियां) नियम, 2012 जो 26 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 846(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कृषि संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने ''रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2012'' के बारे में कृषि संबंधी समिति का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2012-2013 के अनुदानों की मांगों पर 13वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. झारखण्ड बजट

श्री पी॰ चिदंबरम ने झारखण्ड राज्य के संबंध में वर्ष 2013-2014 के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

7. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखण्ड) — 2012-13

श्री पी॰ चिदंबरम ने झारखण्ड राज्य के संबंध में वर्ष 2012-2013 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.19 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों को कथित रूप से पकड़े जाने के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों को कथित रूप से पकड़े जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
2. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री शिवकुमार उदासी
2. श्री शिवराम गौडा
3. श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी
4. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
5. श्री देवजी एम॰ पटेल
6. श्रीमती भावना गवली
7. डॉ॰ संजय जायसवाल
8. श्री मानिक टैगोर
9. श्री अर्जुन मेघवाल
10. श्री पी॰ लिंगम
11. श्री पी॰आर॰ नटराजन
12. डॉ॰ एम॰बी॰ राजेश
13. श्री पी॰के॰ बीजू
14. श्री पी॰ करूणाकरन

श्री पी॰ चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

---

* अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.27 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.28 बजे

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्री ने श्रीनगर में आतंकी हमले के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#(2) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.34 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) **श्री नारायण सिंह अमलाबे** द्वारा मध्य प्रदेश में राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के काशीखेड़ी पूर्वा गांव में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत एक आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) **श्री विलास बी॰ मुत्तेमवार** द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर नागपुर, महाराष्ट्र में एक प्रदर्शनी केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे** द्वारा महाराष्ट्र के भिवन्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हेतु आवश्यक उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) **श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य** द्वारा असम में काटाखाल और सल्चापड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर आर॰ओ॰बी॰ के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) **डॉ॰ चार्ल्स डिएस** द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली ई॰पी॰एफ॰ पेंशन दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) **श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू** द्वारा तमिलनाडु में तूतीकोरिन विमानपत्तन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) **श्री उदय प्रताप सिंह** द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि उपज का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

सायं 7.38 बजे।

(8) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में चारदीवारी का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा बिहार के कटिहार जिले में एक क्षेत्रीय डाकघर और एक मंडलीय डाकघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा गुजरात में ''नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोस्टल पोलिसिंग'' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अशोक अर्गल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की मरम्मत का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ रत्ना डे नाग द्वारा देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री शेख सैदुल हक द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दामोदर नदी के बैराज को गादमुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री वैजयंत पांडा द्वारा ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ओ॰एस॰ मणियन द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.40 बजे

12. **(एक) बजट (सामान्य) — 2013-14; (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) — 2013-14; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) — 2012-13; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) — 2010-11**

लिया गया समय**:** 11 घन्टे 57 मिनट

आगे संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं—

(एक) बजट (सामान्य) 2013-14 पर सामान्य चर्चा;

(दो) मांग संख्या 1 से 34, 36, 37, 39 से 64, 66 से 76, 78, 79 और 81 से 106 के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

अपराह्न 1.11 बजे।

(तीन) वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 4, 7, 9 से 17, 19, से 21, 30 से 33, 35, 40, 45 से 50, 52, से 55, 58 से 61, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 87 से 91, 93, 95 से 97, 100 से 102 और 104 से 106

(चार) वर्ष 2010-11 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 11, 13, 21, 22, 23, 27, 31, 72, 101 और 102

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लियाः—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
*2. श्री लक्ष्मण टुडु
*3. श्री पी॰ कुमार
*4. श्री कुलदीप बिश्नोई
*5. श्री सी॰ राजेन्द्रन
*6. श्री विजय बहादुर सिंह
*7. श्री जोस के॰ मणि
*8. श्री अब्दुल रहमान
*9. श्री तुफानी सरोज
*10. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
11. श्री नीरज शेखर
*12. श्री रामसिंह राठवा
*13. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
*14. श्री नारनभाई कछाड़िया
*15. श्री शिवराम गौडा
*16. श्री पी॰के॰ बिजू
*17. श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
18. श्री दारा सिंह चौहान

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*19. श्रीमती प्रिया दत्त

*20. श्री गणेश सिंह

*21. श्री कपिल मुनि करवारिया

*22. श्रीमती रत्ना डे नाग

*23. श्री सुदर्शन भगत

*24. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

25. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

*26. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन

27. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

*28. श्री रूद्रमाधव राय

*29. श्री पी॰ विश्वनाथन

30. श्री प्रबोध पांडा

*31. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा

32. श्री भक्त चरण दास

*33. डॉ॰ निलेश राणे

34. श्री लालजी टंडन

*35. श्री पी॰टी॰ थॉमस

*36. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

37. श्री जगदानन्द सिंह

*38. एडवोकेट गणेशराव एन॰ दूधगांवकर

*39. श्री राकेश सिंह

40. प्रो॰ सौगत राय

*41. श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी

*42. श्री रमेश बैस

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*43. डॉ॰ ज्योति धुर्वे
*44. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
*45. श्री अभिजीत मुखर्जी
*46. श्री दिलीप गांधी
47. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
*48. श्री विजय इंदर सिंगला
*49. श्री राम सिंह कस्वां
50. डॉ॰ महबूब बेग
*51. श्री ए॰ गणेशमूर्ति
*52. श्री के॰ जयप्रकाश हेगड़े
53. श्री संजय सिंह चौहान
54. श्री नवीन जिन्दल
55. श्री असादूद्दीन ओवेसी
*56. श्री श्रीपाद येसो नाईक
*57. श्री पी॰सी॰ मोहन
*58. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
*59. डॉ॰ अरविन्द शर्मा
*60. श्री मुरारी लाल शर्मा
*61. श्री ओ॰एस॰ मणियन
62. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
*63. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
64. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
*65. श्री अर्जुन मेघवाल
*66. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट

---
*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*67. श्री हंसराज गं॰ अहीर

68. श्री शैलेन्द्र कुमार

*69. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

70. श्री लालू प्रसाद

*71. श्री एम॰आई॰ शानवास

*72. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*73. श्री रमेन डेका

74. श्री अर्जुन राय

*75. श्री नलिन कुमार कटील

76. श्री आर॰ थामराईसेलवन

*77. श्री एस॰ सेम्मलई

*78. श्री रतन सिंह

79. श्री भर्तृहरि महताब

*80. डॉ॰ थोकचोम मैन्या

*81. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन

*82. श्री के॰पी॰ धनपालन

*83. श्री मधुसूदन यादव

*84. श्री चंदूलाल साहू

85. श्री पुलिन बिहारी बासके

*86. श्री हरीश चौधरी

*87. श्री देवजी एम॰ पटेल

*88. एडवोकेट ए॰ सम्पत

*89. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

90. श्री नृपेन्द्र नाथ राय

91. श्री तिरुमावलावन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*92. श्री शेख सैदुल हक

93. डॉ॰ तरुण मंडल

*94. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद

95. श्री नारायणसिंह अमलाबे

*96. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

*97. डॉ॰ विवेकानन्द

98. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

*99. श्री हरिभाऊ माधव जावले

*100. श्री जे॰पी॰ अग्रवाल

101. श्री हसन खान

102. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी

*103. श्री इज्यराज सिंह

*104. श्री अशोक अर्गल

*105. श्री एंटो एंटोनी

*106. श्री शिव कुमार उदासी

*107. श्री भाउ राव वाकचौरे

*108. श्री सैयद शाह नवाज हुसैन

श्री पी॰ चिदम्बरम ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 34, 36, 37, 39 से 64, 66 से 76, 78, 79 और 81 से 106 की लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) 2013-14 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 7, 9 से 17, 19 से 21, 30 से 33, 35, 40, 45 से 50, 52 से 55, 58 से 61, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 87 से 91, 93, 95 से 97, 100 से 102 और 104 से 106 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) 2012-13 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

वर्ष 2010–2011 के लिए सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 11, 13, 21, 22, 23, 27, 31, 72, 101 और 102 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2010–11 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी–पूरी स्वीकृत हुई।

13. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2013

14. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2013

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

15. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग विधेयक, 2013

16. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग विधेयक, 2013

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

17. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013

18. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

#रात्रि 8.27 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 15 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

#सायं 7.41 बजे से रात्रि 8.27 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5744LS(S4)—14.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 15 मार्च, 2013/24 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 298

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.34 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 262—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 का परिणामी बजट।

(7) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वित्त मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) संसद, राष्ट्रपति सचिवालय और उपराष्ट्रपति सचिवालय के वर्ष 2013-2014 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वित्त मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 का परिणामी बजट।

(9) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 99(अ) जो माल के आयात हेतु विदेश व्यापार नीति 2009—2014 के पैरा 5.11 के अन्तर्गत निर्यात उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (0% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 100(अ) जो माल के आयात हेतु विदेश व्यापार नीति 2009—2014 के पैरा 5.11 के अन्तर्गत निर्यात उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (3% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰106(अ) जो 19 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 114(अ) जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 79(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2009—2014 की निर्यात संवर्धन पूंजी माल योजना और संशोधन को लागू किया गया है जिसमें वे शर्तें विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनके अध्यधीन एक उत्तरवर्ती प्रभार के लिए उत्प्रेरकों

को ईपीसीजी स्कीम से संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 86(अ) जो 14 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विशाखापत्तनम विमान पत्तन को उन पत्तनों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में है, जहां से निर्यात संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जारी सीमा शुल्क अधिसूचना के अन्तर्गत आयात और निर्यात की अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/22/5429 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अऋजु व्यापार पद्धति का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 11 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/25/5455 में प्रकाशित हुई थी।

(13) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों) सेवा विनियम, 2010 जो 6 नवंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 294 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 5 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एच॰ओ॰/2011/10/पीआरएस/1086 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5122/एफ-93-पीएआईआरडी/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 113 (अ) जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 101 (अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2009 के पैरा संख्या 5.11 के अन्तर्गत निर्यात उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी डयूटी क्रेडिट स्क्रिप (0% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 102 (अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो माल के आयात हेतु विदेश व्यापार नीति 2009—2014 के पैरा संख्या 5.11 के अन्तर्गत निर्यात उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी डयूटी क्रेडिट स्क्रिप (3% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पाँचवा संशोधन) नियम, 2012 जो 26 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 844 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 19 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 105 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. संसदीय समितियाँ (वित्तीय और विभाग से संबंधित स्थायी समितियों को छोड़कर)—कार्य-सारांश

महासचिव ने संसदीय समितियाँ (वित्तीय और विभाग से संबंधित स्थायी समितियों को छोड़कर)—कार्य-सारांश (1 जून, 2010 से 31 मई, 2011) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र की समीक्षा के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पबन सिंह घाटोवार ने 18 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

7. प्रस्ताव

श्री पबन कुमार घाटोवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 14 मार्च, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

सिविल सेवा परीक्षाओं में कथित रूप से अंग्रेजी को अनिवार्य बनाए जाने के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने सिविल सेवा परीक्षाओं में कथित रूप से अंग्रेजी को अनिवार्य बनाए जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री लालू प्रसाद
2. श्री गोपीनाथ मुंडे
3. श्री वी॰ अरुण कुमार
4. श्री धर्मेन्द्र यादव
5. श्री शरद यादव

6. श्री टी॰ के॰ एस॰ इलेंगोवन
7. श्री बसुदेव आचार्य
8. श्री तथागत सत्पथी
9. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
10. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
11. श्री जयंत चौधरी
12. श्री गुरुदास दासगुप्त
13. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
14. श्री एस॰ डी॰ शारिक
15. प्रो॰ सौगत राय
16. डॉ॰ अजय कुमार
17. श्री ए॰ गणेशमूर्ति
18. श्री शीश राम ओला
19. श्री इन्दर सिंह नामधारी
20. श्री प्रशांत चटर्जी
21. डॉ॰ तरुण मंडल

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू
2. श्री शिवराम गौडा
3. श्री हंसराज गं॰ अहीर
4. श्री राकेश सिंह
5. श्री अर्जुन मेघवाल
6. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
7. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
8. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
9. श्री वीरेन्द्र कश्यप

10. श्री निशिकांत दुबे

11. श्री हरिन पाठक

12. श्री राजेन्द्र सिंह राणा

13. श्री राकेश सचान

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

9. अफजल गुरू को फांसी देने पर भारत की निंदा करते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा कथित रूप से पारित किए गए संकल्प के बारे में निवेदन।

श्री यशवंत सिन्हा ने उपर्युक्त विषय पर एक निवेदन किया।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''यह सभा पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा 14 मार्च, 2013 को पारित संकल्प को पूर्णत: अस्वीकार करती है। सभा नोट करती है कि पाकिस्तान ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह भारत के विरुद्ध आतंकवाद फैलाने के लिए अपने भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा और इस प्रतिबद्धता का पालन करना ही पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का आधार हो सकता है।

सभा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करती है और पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली से अपेक्षा करती है कि वह अतिवादी और आतंकवादी तत्वों को इस प्रकार का समर्थन देने से बाज आए।

सभा इस बात को दोहराती है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भू-भाग सहित सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य सदैव भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के आंतरिक मामलों में कहीं से भी किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास का हमारे राष्ट्र द्वारा पूर्ण दृढ़ता और एकजुटता से मुकाबला किया जाएगा।''

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.42 बजे

10. झारखण्ड बजट — **2013-14**

लिया गया समय: 1 घंटा 50 मिनट

संयुक्त चर्चा के लिए कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) वर्ष 2013-14 के लिए झारखण्ड राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2013-14 के लिए झारखण्ड राज्य के बजट के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 और 35 से 60;

(तीन) वर्ष 2012-13 के लिए झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 3, 10, 16, 18 से 20, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 40, 41, 43 से 45, 48 से 51, 53, 54, 56 और 58।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री भूदेव चौधरी
5. श्री पुलिन बिहारी बासके
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री कामेश्वर बैठा
8. श्री इन्दर सिंह नामधारी
9. डॉ॰ अजय कुमार

श्री पी॰ चिदम्बरम ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

झारखण्ड राज्य के बजट के संबंध में अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 और 35 से 60 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों (झारखण्ड) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 3, 10, 16, 18 से 20, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 40, 41, 43 से 45, 48 से 51, 53, 54, 56 और 58 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (झारखंड) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2013

12. सरकारी विधेयक—पारित

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2013

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013

14. सरकारी विधेयक—पारित

झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.33 बजे

15. प्रस्ताव—स्वीकृत

प्रो॰ सौगत राय ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 13 मार्च, 2013 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.34 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत

श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा 17 अगस्त, 2012 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यनीति तैयार करे।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया—

1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल (भाषण पुन: आरंभ किया)
2. प्रो॰ सौगत राय
3. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
4. श्री सतपाल महाराज
5. श्री अशोक तंवर

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री अर्जुन मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.35 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन

श्री महेन्द्र कुमार राय ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा मुद्रास्फीति की दर में निरंतर वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में परिणामस्परूप वृद्धि पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह आवश्यक वस्तुओं के बढ़ रहे मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसे सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया—

1. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
2. श्री सतपाल महाराज
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री जगदम्बिका पाल
6. श्री भर्तृहरि महताब (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.45 बजे

(लोक सभा सोमवार, 18 *मार्च,* 2013 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से सांय 6.45 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5801LS(S4)—15.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 18 मार्च, 2013/27 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 299

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.20 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 282 और 283 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 284—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए इस्पात मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए इस्पात मंत्रालय के परिणामी बजट।

(6) वर्ष 2013-2014 के लिए खान मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2039(अ) जो 5 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2013-2014 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए विद्युत मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए विद्युत मंत्रालय के परिणामी बजट।

(10) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2013-2014 के लिए युवक मामले और खेल मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एस॰टी॰सी॰एल॰ लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एस॰टी॰सी॰एल॰ लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए वस्त्र मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए वस्त्र मंत्रालय का परिणामी बजट।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

(18) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिये इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(19) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 96 की उपधारा (3) के अंतर्गत सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (संशोधन) नियम, 2012 जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 689(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) विनियम, 2013 जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013 जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(22) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (अंतर्वर्ती मार्गनिर्देश) नियम, 2011 संबंधी स्पष्टीकरण के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2647(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (वाराणसी-सुल्तानपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2852(अ) जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (इटावा-चकरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2944(अ) जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (इटावा-चकरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2947(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24ख (रायबरेली-इलाहाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2934(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 (टाण्डा-रायबरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 88(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 (हरिद्वार-काशीपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2938(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1230(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 2863(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 235 (मेरठ-बुलंदशहर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 134(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 (टाण्डा-रायबरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 2998(अ) जो 22 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (भारत-नेपाल सीमा से वाराणसी तक) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 3047(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 (हरिद्वार-काशीपुर खण्ड तक) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) जिला रामपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3039(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (अलीगढ़-कानपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 3052(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2990(अ) जो 22 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन॰ई॰-दो (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 3054(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (औराई-भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2912(अ) जो 15 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (रुड़की-चटमालपूर-सहारनपुर-उ॰प्र॰/हरियाणा सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने हेतु

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) जिला रामपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्तरह) का॰आ॰ 1206(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-बड़ोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 460(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-झालावाड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 511(अ) जो 11 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-कोटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 513(अ) जो 11 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-कोटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 825(अ) जो 26 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाइस) का॰आ॰ 1090(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जैतपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेइस) का॰आ॰ 793(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1831(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़–चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 510(अ) जो 11 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर–स्वरूपगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 404(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद–गुजरात/म॰प्र॰ सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 611(अ) जो 22 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर–रींगस खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 340(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰आ॰ 915(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 से जोड़ने के लिए उदयपुर सिटी के लिए देवड़ी से काया तक नए बाईपास के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिए अनुमण्डल अधिकारी, गिरवा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2956(अ) जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 (रायबरेली–बांदा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 3051(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 (अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2994(अ) जो 22 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 (कानपुर-हमीरपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 91(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 2987(अ) जो 22 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (मलौत-पिथौरागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2913(अ) जो 15 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 (हरिद्वार-काशीपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 2916(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 178(अ) जो 17 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 99 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का०आ० 244(अ) जो 24 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 (हैदराबाद से भोपालापट्नम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का०आ० 2037(अ) जो 5 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2640(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का०आ० 2038(अ) जो 5 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का०आ० 2197(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (बमिथा–सतना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का०आ० 2299(अ) जो 25 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2440(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतालीस) का०आ० 2368(अ) से का०आ० 2370(अ) जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल–बिओरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का०आ० 2428(अ) और का०आ० 2429(अ) जो 10 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 (जिरकपुर–पटियाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का०आ० 2561(अ) और का०आ० 2562(अ) जो 26 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (मनगावन–चाकघाट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 801(अ) जो 11 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैतालीस) का॰आ॰ 1572(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1563(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का॰आ॰ 1362(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचास) का॰आ॰ 1360(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यावन) का॰आ॰ 1055(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का॰आ॰ 1056(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरपन) का॰आ॰ 800(अ) जो 11 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60, 65 और 67 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चौवन) का॰आ॰ 1053(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का॰आ॰ 949(अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का॰आ॰ 708(अ) जो 7 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 13 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2252(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(सतावन) का॰आ॰ 1666(अ) जो 24 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का॰आ॰ 1831(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का॰आ॰ 1832(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(साठ) का॰आ॰ 2004(अ) जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का॰आ॰ 2007(अ) जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बासठ) का॰आ॰ 2309(अ) जो 26 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 947 और 360 को हटाया गया है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 2310(अ) जो 26 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160 और 953 को हटाया गया है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 2311(अ) जो 26 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) का॰आ॰ 2312(अ) जो 26 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छियासठ) का॰आ॰ 2372(अ) जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का॰आ॰ 2757(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(26) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1667(अ) जो 24 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और 42 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰आ॰ 1830(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2006(अ) जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰आ॰ 2756(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 और 18क के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का॰आ॰ 2371(अ) जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1205(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1564(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 527ग के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का॰आ॰ 1364(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1097(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 1365(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 1366(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 1363(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 122 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1361(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 17 और 207 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बारह) का॰आ॰ 1054(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 1052(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1035(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 948(अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 910(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(27) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 943 (अ) में प्रकाशित हुआ, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) छठा संशोधन विनियम, 2012 जो 23 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर॰I (खण्ड-V) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2013 जो 24 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर॰I (खण्ड-IX) में प्रकाशित हुए थे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी—

(एक) कि राज्य सभा को 13 मार्च, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2013 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 13 मार्च, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2013 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को 13 मार्च, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2013 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री ने 'औद्योगिक उत्पादन' के बारे में श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 84 के 4 मार्च, 2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया।

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2013

*अपराह्न 12.03 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा मुस्लिमों और एक राजनीतिक दल के नेता के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणियों के बारे में

सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार और मुलायम सिंह यादव ने एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा मुस्लिमों और एक राजनीतिक दल के नेता के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणियों के बारे में निवेदन किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने उत्तर दिया।

#श्री कमलनाथ ने भी उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का उन्नयन करने तथा प्रत्यक्ष कर विभाग के रूप में इसका पुनःनामकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में बालिकाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं हेतु आवंटित की गई भूमि का दाखिल-खारिज किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने के संबंध में राजस्थान सरकार पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.15 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 3.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#अपराह्न 3.03 बजे

(4) श्री आर॰ ध्रुवरानायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में भराचुक्की प्रपात के विकास हेतु शेष संस्वीकृत धनराशि को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ निलेश नारायण राणे द्वारा कोंकण रेलवे के तहत रेल टिकट बुकिंग करने वाले टाऊन बुकिंग एजेन्ट्स की व्यवस्था जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा अरब सागर के कोचिन हाई में तेल की खोज का कार्य पुन: आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री शिवराम गौडा द्वारा कनार्टक में बेल्लारी और सिरगुप्पा क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं को अबाध सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों के गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा कानपुर और बिलहौर के बीच जी॰टी॰ रोड की मरम्मत करने और कानपुर और दिल्ली मार्ग पर ट्रॉमा सेन्टर युक्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) प्रो॰ (डॉ॰) रंजन प्रसाद यादव द्वारा बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानेर ब्लॉक में गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता हेतु निविदाएं आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री ए॰के॰एस॰ विजयन द्वारा देश में मछुआरों के कल्याण हेतु एक पृथक् मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा मुजफ्फरपुर–देवरिया–तरईया सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.09 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 19 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—5834LS(S4)—18.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 19 मार्च, 2013/28 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 300

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री कैलाश नाथ सिंह यादव; तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री फ्रांसिस फैन्थोम के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 19 मार्च, 2013 को सुबह महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में एक बस के पुल से नीचे गिरने के कारण लगभग 36 व्यक्तियों के मारे जाने तथा कई अन्यों के घायल हो जाने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 301—320 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए कृषि मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए संस्कृति मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए संस्कृति मंत्रालय का परिणामी बजट।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(11) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 380(अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले पोटेशियम,

मैग्नेशियम सल्फेट का इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए उसमें उल्लिखित विनिर्देशों का नियतन किया गया।

(दो) का॰आ॰ 381 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले कोलेमानाइट का इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए उसमें उल्लिखित विनिर्देशों का नियतन किया गया।

(तीन) का॰आ॰ 382 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8% सल्फर युक्त औपबन्धिक फर्टिलाइजर यूरिया अमोनियम फास्फेट के भारत में विनिर्माण किए जाने हेतु इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक उसमें उल्लिखित विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 383 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले कैल्शियम साइनामाइड का इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए उसमें उल्लिखित विनिर्देशों का नियतन किया गया है।

(14) पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार (संशोधन) नियम, 2013 जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार (संशोधन) विनियम, 2013 जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 116(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) वर्ष 2013-2014 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण

राजकुमारी रत्ना सिंह ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का निम्नलिखित अंतिम की गई कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण' विषय पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-2011) के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'अर्द्धसैन्य बलों में महिलाएं' विषय पर समिति के छठे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-2011) के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'आंगनबाड़ी कर्मकारों की कार्यदशा' विषय पर समिति के 8वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-2011) के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

6. कृषि संबंधी समिति के विवरण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं—एक मूल्यांकन' विषय पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 39वाँ प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की माँगों (2012-2013) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 40वाँ प्रतिवेदन।

7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कीर्ति आजाद ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) आयुष विभाग की अनुदानों की माँगों (2012-2013) के बारे में समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 61वाँ प्रतिवेदन।

(2) एड्स नियंत्रण विभाग के अनुदानों की माँगों (2012-2013) के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 62वाँ प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अनुदानों की माँगों (2012-2013) के बारे में समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 63वाँ प्रतिवेदन।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुदानों की माँगों (2012-2013) के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 64वाँ प्रतिवेदन।

(5) स्नातक विज्ञान (सामुदायिक स्वास्थ्य) पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर समिति का 65वाँ प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2012-2013) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

(एक) श्री बी॰के॰ हाण्डिक ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के कार्यकाल के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करे।''

(दो) श्री बी॰के॰ हाण्डिक ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति से सहयोजित होने के लिए समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के कार्यकाल के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और इस सभा को इस प्रकार निर्वाचित समिति के सदस्यों के नाम की सूचना दे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013

अपराह्न 12.09 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्रीलंकाई तमिलों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के लिए श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में एक सशक्त संकल्प की आवश्यकता के बारे में

डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई और श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन ने श्रीलंकाई तमिलों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के लिए श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में एक सशक्त संकल्प की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए।

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री शिव कुमार उदासी
2. श्री पी॰ लिंगम
3. श्री पन्ना लाल पुनिया

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान में भरतपुर से डीग एवं कमन होते हुए कोसीकलां तक नई रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हर्ष वर्धन द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी समझौते का अनिवार्य लेखा परीक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा केरल के कोझिकोड में फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान स्थापित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा ''डेयरी एन्टेरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम'' के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी फार्मों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टॉवरों को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में डीजल बेच रहे कंज्यूमर पम्प आउटलेटों को बनाए रखने के लिए उन्हें रिटेल पम्प आउटलेटों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किसानों को सिंचाई के प्रयोजनों हेतु जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वहां गंगा नदी के भिटौरा घाट पर पम्प कैनाल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री धनंजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगरा बादशाहपुर के नजदीक राज्य राजमार्ग संख्या 7 पर रेल समपार पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा देश में मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पी॰आर॰ नटराजन द्वारा नीलगिरि, तमिलनाडु स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के पुनरुद्धार संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कालीकेश नारायण सिंह देव द्वारा ओडिशा के बोलंगिर जिले में सौर उद्यान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए तेरहवें वित्त आयोग से धनराशि जारी करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

14. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 5 घंटे 41 मिनट

डॉ॰ भोला सिंह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 3 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।''

नीचे पैरा 15 में यथाइंगित चर्चा के पश्चात् संकल्प अस्वीकृत हुआ।

15. सरकारी विधेयक

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

$प्रो॰ सौगत राय द्वारा उठाए गए एक व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, प्रो॰ सौगत राय ने संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया है कि दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर पहले चर्चा की जाए और दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार तथा पारित किए जाने से पूर्व इसका निपटान किया जाए।

अनुच्छेद 123(2) सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का निरनुमोदन करने के लिए सांविधिक संकल्प की सूचना देने का अधिकार प्रदान करता है। डॉ॰ भोला सिंह, श्री गुरुदास दासगुप्त और प्रो॰ सौगत राय ने दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का निरनुमोदन करने के लिए सांविधिक संकल्प की सूचनाएं दी हैं। डॉ॰ भोला सिंह की सूचना पहले प्राप्त हुई इसलिए आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मद संख्या 21 अर्थात् सांविधिक संकल्प में उनका नाम पहले स्थान पर है। चूंकि तीनों सदस्यों के संकल्प एक जैसे हैं। इसलिए सभी तीनों सदस्यों को चर्चा के आरंभ में बोलने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। सांविधिक संकल्प उस सदस्य द्वारा पेश किया गया है जिनका नाम पहले स्थान पर है, अत: अन्य दो सदस्यों को तब अवसर मिलेगा जब उनकी पार्टी की बारी आएगी। यह सभा की सुस्थापित परिपाटी रही है।

सभा की ऐसी मदों पर संयुक्त चर्चा करने की परम्परा रही है यदि उन मदों की विषय वस्तु ऐसी हो कि उन पर सुविधापूर्वक एक साथ चर्चा की जा सके। यह परम्परा सभा का बहुमूल्य समय बचाने और सभा में दलीलों की पुनरावृति से बचने के लिए विकसित की गई है।

मैं यह भी सूचित करना चाहती हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 13 मार्च, 2013 को हुई बैठक में निर्णय किया कि इन दोनों मदों पर एक साथ चर्चा की जाए। तथापि, विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखे जाने से पूर्व ही सांविधिक संकल्प का निपटान किया जाएगा।

इसलिए, मेरा मत है कि व्यवस्था का प्रश्न अमान्य है।''

$अपराह्न 3.33 बजे।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (उपर्युक्त पैरा 14 देखें) तथा विधेयक पर विचार किए जाने वाले प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा में भाग लिया:—

1. डॉ॰ भोला सिंह
2. श्री संदीप दीक्षित
3. श्रीमती सुमित्रा महाजन
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री दारा सिंह चौहान
6. श्री शरद यादव
7. श्री कल्याण बनर्जी
8. एडवोकेट ए॰ सम्पत
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री अनंत गंगाराम गीते
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री एस॰ सेम्मलई
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री गुरुदास दासगुप्त
15. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
16. श्री लालू प्रसाद
17. कुमारी सरोज पाण्डेय
18. श्रीमती प्रिया दत्त
19. श्रीमती जयाप्रदा
20. श्री एस॰डी॰ शारिक
21. श्री कामेश्वर बैठा
22. श्रीमती शताब्दी राय
23. श्री असादुद्दीन ओवेसी

24. श्री तिरुमावलावन

25. डॉ॰ अजय कुमार

26. श्री आर॰ थामराइसेलवन

27. श्री विजय बहादुर सिंह

28. श्रीमती मीना सिंह

श्री सुशीलकुमार शिंदे ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खण्ड 5 पर पेश किए संशोधन संख्या 33 पर सभा में मतदान हुआ तथा मतदान का परिणाम था: हां 75, नहीं 128 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खण्ड 8 पर पेश किए गए संशोधन संख्या 35 पर सभा में मतदान हुआ तथा मतदान का परिणाम था: हां 66, नहीं 132 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 स्वीकृत हुआ।

श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा खण्ड 9 पर पेश किए गए संशोधन संख्या 27 पर सभा में मतदान हुआ तथा मतदान का परिणाम था: हां 68, नहीं 134 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 से 23 स्वीकृत हुए।

खण्ड 24, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 से 28 स्वीकृत हुए।

खण्ड 29 अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 और 31 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

@रात्रि 8.18 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 20 *मार्च,* 2013 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

@सायं 7.44 बजे से रात्रि 8.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5908LS(S4)—19.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 20 मार्च, 2013/29 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 301

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री नरेश कुमार बलियान के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 322—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) वर्ष 2013-2014 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2013-2014 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए अन्तरिक्ष विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2013-2014 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का परिणामी बजट।

(पांच) वर्ष 2013-2014 के लिए अन्तरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।

(7) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखण्ड, राँची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) डॉ॰ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए विदेश मंत्रालय का परिणामी बजट।

(24) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस ट्रेनिंग (वेस्टर्न रिजन), मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस ट्रेनिंग (वेस्टर्न रिजन), मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए नागर विमानन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(46) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) संशोधन नियम, 2012 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 23 अक्टूबर 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम 2012 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 5 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2012 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 5 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(47) वर्ष 2013-2014 के लिए दूर संचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) वर्ष 2013-2014 के लिए शहरी विकास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(52) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) वर्ष 2013-2014 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ—कार्य सारांश

महासचिव ने 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ—कार्य सारांश (31 अगस्त 2010 से 30 अगस्त, 2011 तक)' का हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ सौगत राय ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोविन्द चन्द्र नास्कर ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित ''भारत सरकार में वरिष्ठ पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा'' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

#8. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने 'सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 13.3.2013 को सभा पटल पर रखे गए।

#अपराह्न 12.30 बजे।

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विजय बहादुर सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) मानव संसाधन विकास मंत्री ने (एक) श्री मंगनी लाल मण्डल द्वारा 19.12.2012 को केन्द्रीय विद्यालय के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 362 के संबंध में दिए गए उत्तर को शुद्ध किए जाने; और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

**(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।)*

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.32 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक महत्व के विजेथुआ महावीरन धाम पर्यटन स्थल पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु के महान आध्यात्मिक कवि नायकी स्वामीगल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एम॰आई॰ शानवास द्वारा सूखा प्रभावित केरल के लिए राहत पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नीलगायों और जंगली सुअरों से फसलों का नुकसान होने से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा ओलम्पिक में कुश्ती को एक खेल के रूप में बनाए रखे जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से मांग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा केरल में काली मिर्च उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दानवे रावसाहेब पाटील द्वारा महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की समस्या से निपटने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) प्रो॰ रामशंकर द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं द्वारा पेठे की बिक्री करने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ में विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र में अमरावती और धुलिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को शीघ्र चार लेन का किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मऊआइमा विकास खंड के गांवों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में खगड़िया नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री सी॰ राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के चित्तलपक्कम सेकंड मेनरोड़, चेन्नई में आवंटित भूमि पर डाकघर के भवन का निर्माण करने के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा देश में नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री राजू शेट्टी द्वारा अखित भारतीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के पुराने स्वरूप को ही बनाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.33 बजे

12. ध्यानाकर्षण

श्री विष्णु पद राय ने मलेशियाई कंपनी को वाइपर आईलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर 50 बर्थ याच मरिना और 30 बेड वाला तीन स्टार होटल बनाने संबंधी अनुमित से उत्पन्न स्थित तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्री की ओर से गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.34 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 21 *मार्च,* 2013 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—5940LS(S4)—20.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक)

संख्या 302

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 20 मार्च, 2013 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के प्रेसीडेन्ट श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 342—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2012-2013 के लिए स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का परिणामी बजट।

(चार) वर्ष 2013-2014 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(पांच) वर्ष 2013-2014 के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(छह) वर्ष 2013-2014 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) (एक) फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का परिणामी बजट।

(10) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 808 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नोटरी (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 632(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 31 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 662(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) (एक) कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2013-2014 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2013-2014 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) दामोदर वैली कॉरपोरेशन (कोलकाता) के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर वैली कॉरपोरेशन (कोलकाता) के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्बन्धन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 1 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/145 (160) 2012-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

(19) (एक) महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रीयलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रीयलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का परिणामी बजट।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) कंपनी (संकर्म लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 861(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (संकर्म लेखांकन अभिलेख) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 862(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) संकर्म लेखांकन अभिलेख (औषध उद्योग) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 863(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) संकर्म लेखांकन अभिलेख (उर्वरक उद्योग) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 864(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) संकर्म लेखांकन अभिलेख (चीनी उद्योग) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 865(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) संकर्म लेखांकन अभिलेख (विद्युत उद्योग) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 866(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) संकर्म लेखांकन अभिलेख (पेट्रोलियम उद्योग) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 867(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) संकर्म लेखांकन अभिलेख (दूरसंचार उद्योग) संशोधन नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 868(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) वर्ष 2013-2014 के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) वर्ष 2013–2014 के लिए युवक कार्य और खेल मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी–डॉट), नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी–डॉट), नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) ब्रैथवाइट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रैथवाइट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बारे में 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन — क्षैतिज अध्ययन के बारे में 34वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(3) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह वन और पौध रोपण विकास निगम लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में 36वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(4) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(5) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(6) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

6. **लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने (लोक लेखा समिति 2012-2013) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) स्वीकृत अनुदानों से अधिक और प्रभारित विनियोग (2008-2009) के बारे में 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 70वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित ''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' (एन॰आर॰एच॰एम॰) के बारे में 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 71वां प्रतिवेदन।

(3) स्वीकृत अनुदान से अधिक और प्रभारित विनियोग (2009-2010) के बारे में 40वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 72वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'दावों की संवीक्षा में लापरवाही के परिणामस्वरूप अधिक संदायगी' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 73वां प्रतिवेदन।

(5) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय थल सेना में राशन-आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन' के बारे में 47वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 74वां प्रतिवेदन।

(6) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'कैंटीन स्टोर विभाग' के बारे में 48वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन।

(7) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय वायुसेना में पायलेटों का प्रशिक्षण' के बारे में 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

(8) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणी परियोजना नालंदा के कार्य-निष्पादन में असाधारण विलंब' के बारे में 53वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

(9) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'भूमि और विकास कार्यालय का कार्यकरण' के बारे में 59वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 78वां प्रतिवेदन।

(10) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवाकर' के बारे में 79वां प्रतिवेदन।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन'' विषय के बारे में 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) ''भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन'' विषय के बारे में 19वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने जनवरी, 2012 के दौरान समिति के द्वारा भुवनेश्वर, चेन्नई और विशाखापत्तनम के तत्स्थानिक अध्ययन दौरे के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिसवाल ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री इज्यराज सिंह ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) समझौता ज्ञापन प्रणाली के कार्यकरण संबंधी अध्ययन के बारे में 226वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी 236वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 234वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी 238वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(3) लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण सुविधाओं के बारे में 229वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी 239वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(4) लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में 235वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी 240वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(5) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में 233वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी 241वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में सुधार के बारे में वक्तव्य दिया।

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एम॰ कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के जिंजी शहर को पर्यटक स्थल घोषित करने और उसका विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सतपाल महाराज द्वारा कृषि उत्पादों की खरीद हेतु उत्तराखंड में किच्छा या हल्द्वानी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से एक खरीद केन्द्र की स्थापना करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान में मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन से मेड़ता सिटी के बीच पर्याप्त डिब्बों वाली एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एंटो एंटोनी द्वारा केरल में तिरुवल्ला रेलवे स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12081/12082), देहरादून एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12287/12288), यशवंतपुर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12257/12258) और त्रिवेन्द्रम-चेन्नई एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12697/12698) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा सम्बलपुर में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा संघ राज्यक्षेत्र, लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, 12 और 12ए की मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा होने वाली क्षति से फसलों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा टिहरी उत्तराखंड में टिहरी पम्पड स्टोरेज प्लांट के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अशोक अर्गल द्वारा देश के प्रत्येक गांव में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ रत्ना डे द्वारा पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा पालक्काड़, केरल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री लक्ष्मण टुडु द्वारा ओडिशा में बारीपडा और बंगरीपोशी के बीच के रेलवे स्टेशनों पर गाड़ी संख्या 12891/12892 का वाणिज्यिक ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा दिल्ली से शिरडी के बीच दैनिक आधार पर दूरन्तो एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने तथा दिल्ली से महाराष्ट्र के मनमाड़ और कोपरगांव के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.16 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 22 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—5971LS(S4)—21.03.2013.

प्रकाशनार्थ नहीं

केवल संसद सदस्यों के लिए

लोक सभा

वाद-विवाद का सारांश

(प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शुक्रवार, 22 मार्च, 2013/01 चैत्र, 1935 (शक)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दो मछुआरों की हत्या में आरोपी इटली के दो सैनिकों की भारत वापसी के बारे में

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं माननीय सदन को दो भारतीय मछुआरों की हत्या में आरोपी इटली के दो सैनिकों की भारत वापसी के मुद्दे पर हाल ही में हुए घटनाक्रम के बारे में अवगत कराना चाहता हूं।

इस सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं के जवाब में माननीय प्रधान मंत्री ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या में आरोपी इटली के दो सैनिकों को भारत वापस भेजने के संबंध में इटली के निर्णय से संबंधित मामले पर 13 मार्च, 2013 को एक वक्तव्य दिया था। प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इटली के प्राधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय को दी गई शपथ का सम्मान करें तथा भारत में मुकदमा चलाने के लिए दो आरोपी व्यक्तियों को वापस भेजें। संसदीय कार्य मंत्री श्री कमल नाथ ने 13 मार्च, 2013 को, राज्य सभा में शून्यकाल के दौरान यह वक्तव्य भी दिया था कि इस मामले में सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर कार्यवाही की जाएगी तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय तथा तरीके के अनुसार इसका जवाब दिया जाएगा।

यह स्मरण होगा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2013 के आदेश में इटली के दो सैनिकों मैसीमिलानो लाटौर तथा साल्वाटोर गिरौन के आवेदन को स्वीकार किया था तथा उन्हें इटली की यात्रा करने तथा चार सप्ताहों की अवधि के लिए इटली गणराज्य में रहने की अनुमति प्रदान की थी। इस आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि ये सैनिक इटली

गणराज्य की देख-रेख, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में इटली की यात्रा करेंगे, इटली में रहेंगे तथा भारत लौटेंगे। वापसी पर वे फिर से न्यायालय द्वारा 18 जनवरी, 2013 को पारित आदेश में शामिल शर्तों द्वारा बाध्य होंगे। इटली गणराज्य ने न्यायालय को यह शपथ दी थी कि इस अवधि के दौरान इटैलियन सैनिकों को उनकी हिरासत, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में रखा जाएगा तथा उन्होंने न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले इटली के इन सैनिकों को नई दिल्ली वापस भेजने का पूरा दायित्व लिया था।

इससे पहले इटली के इन दो सैनिकों ने इटली गणराज्य के क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की थी जिस पर उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 2013 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय भी दिया था कि भारत के पास क्षेत्राधिकार है तथा यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करके भारत की केन्द्र सरकार द्वारा गठित विशेष न्यायालय के सम्मुख मुकदमा चलाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तथा समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार तथा यदि घरेलू नियम तथा यूएनसीएलओएस 1982 के बीच कोई विरोधाभास नहीं है तो यूएनसीएलओएस 1982 के प्रावधानों के अनुसार इसका निपटारा किया जाएगा।

11 मार्च, 2013 को सायं देर से नई दिल्ली स्थित इटैलियन दूतावास से विदेश मंत्रालय को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि इटली यह मानता है कि 1982 के समुद्री नियम पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों में प्रयुक्तता तथा इनरिका लैक्सी घटना के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांतों के संबंध में विवाद है। इन कारणों से उसने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि उक्त विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राजनयिक स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाए तथा यह भी सूचित किया था कि ''चूंकि दोनों देशों के बीच विवाद स्थापित हो चुका है इसलिए दो इटैलियन सैनिक श्री लाटौर तथा श्री गिनौर उन्हें प्रदत्त अनुमति की समाप्ति के बाद भारत नहीं लौटेंगे''।

दिनांक 14 मार्च, 2013 को भारत के महान्यायधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में माननीय न्यायालय को इस घटनाक्रम के बारे में सूचित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर 18 मार्च, 2013 को सुनवाई की। अब 2 अप्रैल, 2013 को इसकी अगली सुनवाई होनी है।

इटली की सरकार को स्पष्ट तौर पर हमने अपनी स्थिति सूचित कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत के पास इस मामले में मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार है, भले ही इसने 18 जनवरी के अपने निर्णय के माध्यम से याचिकाकर्ता को इस मामले में गठित विशेष न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाने का अवसर दिया हो।

क्षेत्राधिकार अथवा इस मामले को मध्यस्थ अथवा किसी अन्य न्यायिक तंत्र को भेजने के मुद्दे पर विचार करने के बाबत राजनयिक अथवा विशेषज्ञ स्तरीय बैठकें करने संबंधी इटली सरकार के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने यह स्पष्ट किया है कि इटली गणराज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमत्य समय सीमा के भीतर नौसैनिकों की भारत वापसी सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय को दी गई वचनबद्धता का सम्मान करने के लिए बाध्य है।

इसके उपरांत, राजनयिक सम्पर्क के माध्यम से हमें सूचित किया गया था कि इटली सरकार अपनी वचनबद्धता के अनुसार दो नौसैनिक को भारत को वापस भेजना चाहेगी। इटली ने इन सैनिकों की वापसी के लिए लागू शर्तों तथा मृत्यु दण्ड से संबंधित प्रावधान, जिसे इस मामले में लागू किया जा सके, के संबंध में भारत से स्पष्टीकरण की मांग की क्योंकि यह इटली सरकार की चिंता थी। लंबित कार्यवाहियों के बावजूद सरकार ने इटली सरकार को सूचित किया कि दो सैनिकों को गिरफ्तार किये जाने की संभावना नहीं है यदि वे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस हो जाते हैं और 18 जनवरी, 2013 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित शर्तों से एक बार बंद जाएंगे, और यह कि सुस्थापित भारतीय विधिशास्त्र के अनुरूप यह मामला उन मामलों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा जिसके अंतर्गत मृत्यु दण्ड, अर्थात् बिरले मामले में ऐसा प्रावधान हो। अत:, इस संबंध में किसी आशंका की बात नहीं है।

इन स्पष्टीकरणों को उपयुक्त ढंग से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के बाद हमने इस बात की पुष्टि की है कि इटली सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर इटली के दो सैनिकों की वापसी की व्यवस्था कर रही है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस मामले को संतोषजनक ढंग से अंजाम तक पहुंचाया गया है और अब इन दोनों सैनिकों पर उच्चतम न्यायालय के 18 जनवरी, 2013 के आदेश के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

***नियम 377 के अधीन मामले**

(1) **श्री सज्जन वर्मा** ने मध्य प्रदेश में पाला और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

---

*अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभा पटल पर रखे गये।

(2) **श्री एन॰ पीताम्बर कुरूप** ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा उनका रखरखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) **श्री मानिक टैगोर** ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिवकासी–श्रीविल्लिपुतुर खंड सचियापुरम गांव के समीप समपार संख्या 427 पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** ने दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(5) **श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू** ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को, उनके जन्म स्थान को ध्यान में रखे बिना, आरक्षण प्रदान करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(6) **श्री चार्ल्स डिएस** ने आंग्ल–भारतीय समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों में एक अलग संवर्ग के रूप में शामिल किए जाने तथा देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उन्हें आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(7) **श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली** ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 परियोजना को पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(8) **श्री रमाशंकर राजभर** ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेल्थरा रोड, रेवती और किडिहरापुर रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(9) **श्री ई॰जी॰ सुगावनम** ने तमिलनाडु में होशूर में एक विमानपत्तन की स्थापना किए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(10) **श्री भर्तृहरि महताब** ने राष्ट्रीय विद्युत निधि ब्याज राजसहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विशेष संवर्ग के राज्यों में ओडिशा को शामिल किए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(11) **श्री कुलदीप बिश्नोई** ने सेना में एक दलित रेजीमेंट का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

मूल्यः बारह रुपये © 2013, प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त।

नोटः वाद विवाद के पूरे विवरण को ही अधिकृत माना जाना चाहिए, सारांश को नहीं।

वाद-विवाद का सारांश अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण वेबसाइट http://loksabha.nic.in पर भी उपलब्ध है।

GMGIPMRND—6003LS(S4)—22.03.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 अप्रैल, 2013/2 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 304

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने यूनाइटेड किंगडम की भूतपूर्व प्रधानमंत्री लेडी मार्ग्रेट थैचर के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

(एक) 4 अप्रैल, 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शिल फटा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन रिहायशी इमारत के ढह जाने के कारण 74 व्यक्तियों के मारे जाने तथा कई अन्य व्यक्तियों के घायल हो जाने।

(दो) 9 अप्रैल, 2013 को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र संघ काफिले की सुरक्षा के लिए साथ चलने वाली शांति सेना के हिस्सा रहे पांच भारतीय सैनिकों जिन पर सूडान के विद्रोहियों द्वारा घात लगा कर हमला किया, के मारे जाने।

(तीन) 15 अप्रैल, 2013 को यूएसए के बोस्टन में हुए बम विस्फोट में आठ वर्षीय बच्चा सहित तीन व्यक्तियों के मारे जाने तथा 170 से अधिक लोगों के घायल हो जाने।

(चार) हाल ही में आए भूकंप के कारण ईरान, पाकिस्तान और चीन में हुई जानमाल की हानि।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने दिल्ली में पांच वर्षीय बच्ची के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में उल्लेख किया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

3. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 381—400 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4366—4595 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

उन्होंने 5 अप्रैल, 2013 को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, वर्ल्ड कप की 25-मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला शूटर बनने पर सुश्री राही सरनोबत को सदन की ओर से बधाई भी दी।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) जून, 2012 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 101वें सत्र में अंगीकृत नई आईएलओ सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स सिफारिश, 2012 (सं॰ 202) को अंगीकृत किए जाने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2013-14 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वित्तीय अनुमान और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2908(अ) जो 15 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कीरतपुर-बिलासपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2914(अ) जो 15 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (बिलासपुर-नेर चौक खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2915(अ) जो 15 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कीरतपुर-बिलासपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2933(अ) जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (अंबाला-ज़िरकपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2996(अ) जो 22 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कीरतपुर-बिलासपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 96(अ) और का॰आ॰ 97(अ)जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक–जीन्द खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 138(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक–पानीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3031(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़–रोहतक खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2945(अ) और का॰आ॰ 2961(अ) जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (जीन्द बाईपास सहित) (जीन्द से हरियाणा/पंजाब सीमा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 102(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (जीन्द बाईपास सहित) (हरियाणा/पंजाब सीमा से जीन्द खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 111(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक–पानीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3056(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत–जालंधर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 2910(अ) जो 15 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक–बावल

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2983(अ) जो 22 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2935(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 634(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 1348(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वड़ोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1336(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वड़ोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 559(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (समख्याली-गांधीधाम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2546(अ) जो 22 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (अमरावती-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2784(अ) जो 14 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2331(अ) जो 28 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59

(अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2203(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 128(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2390(अ) जो 15 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 536(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 941(अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वड़ोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे (वड़ोदरा-मुम्बई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2629(अ) जो 25 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 530(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59

(अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1904(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1892(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकत्तीस) का॰आ॰ 2123(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2582(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 614(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 420(अ) जो 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वड़ोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2250(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59

(अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 549(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैतीस) का॰आ॰ 744(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1183(अ) जो 24 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 2255(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 2072(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-बड़ोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 2711(अ) जो 10 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1869(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2629(अ) जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1122(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का॰आ॰ 421(अ) जो 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वड़ोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 2629(अ) जो 25 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1970(अ) जो 25 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 552(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहिसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 2504(अ) जो 4 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित बड़ोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे (वड़ोदरा-मुम्बई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 2457(अ) जो 28 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 2236(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ङ (भावनगर-पीपावाव-वेरावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन

और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 2256(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर-अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 1775(अ) से का॰आ॰ 1779 (अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75ङ (सिधि-सिंगरौली) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 2026(अ) और का॰आ॰ 2027(अ) जो 4 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रेवा-हनुमाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 1710(अ) जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 247(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का॰आ॰ 409(अ) जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 635(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सतावन) का॰आ॰ 819(अ) जो 13 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का॰आ॰ 834(अ) जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 987(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 1060(अ) जो 12 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 1061(अ) जो 12 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 1124(अ) जो 16 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 1154(अ) जो 22 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 1266(अ) जो 1 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 1267(अ) जो 1 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 1299(अ) जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 1321(अ) जो 11 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 1388(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 1592(अ) जो 16 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 1610(अ) जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 1709(अ) जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 1711(अ) जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 1712(अ) जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 1714(अ) जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 1743(अ) जो 6 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 1768(अ) जो 8 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 2048(अ) जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अटहत्तर) का॰आ॰ 2169(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 2170(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5

के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 2171(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 2624(अ) जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 2706(अ) जो 9 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 2753(अ) जो 21 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 2764(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 422(अ) जो 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 1487(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 2474(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर से अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(6) उपर्युक्त मद संख्या (5) के (बावन) से (चौरासी) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्त सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में सड़सठवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में अड़सठवां प्रतिवेदन।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में उनहत्तरवां प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में सत्तरवां प्रतिवेदन।

(5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में इकहत्तरवां प्रतिवेदन।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी॰ आर॰ बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों-2012-13' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय रेल की नई खानपान नीति-2010' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन।

(3) 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाएं और यात्री सुरक्षा' विषय के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(4) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों-2013-14' के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने निम्नलिखित दो वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) दिल्ली में अवयस्क बालिका से बलात्कार से संबंधित घटना के बारे में।

(दो) बंगलोर बम विस्फोट के बारे में।

9. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के नियमों, विनियमों और उप-विधियों के नियम 15 के उप-नियम (18) और नियम 18 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, डॉ॰ (श्रीमती) क्रुपारानी किल्ली, जिन्हें मंत्री नियुक्त किया गया है, **के स्थान पर** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक,* 2013

(दो) *प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक,* 2013

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.10 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में मछुआरा समुदाय के हित में कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एम॰ कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलै जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के करीमनगर में एक मिनी पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों की केन्द्रीय सूची में आंध्र प्रदेश के वीराशैवा/लिंगा बलीजस समुदाय को शामिल किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के महेन्द्रगिरी में लिक्विड प्रपल्लशन सिस्टम सेंटर का पृथक केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना की व्यापक समीक्षा हेतु श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री इज्यराज सिंह द्वारा किसानों द्वारा ब्याज मुक्त कृषि ऋण चुकाने हेतु समय सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा उत्तर-पश्चिम रेलवे के अंतर्गत सरदार शहर-हनुमानगढ़, सीकर-नोरवा, भिवानी-लोहारु-पिलानी-चुरू, चुरू-तारानगर-नोहर, सूरतगढ़-सरदा शहर-तारानगर-सादुलपुर मार्गों पर रेल लाइनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली–हावड़ा फ्रेट कोरिडोर परियोजना के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गन्ना किसानों को पर्याप्त लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रो॰ (डॉ॰) रंजन प्रसाद यादव द्वारा बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दानापुर उप–मंडल में गंगा नदी द्वारा हो रहे भूमि कटाव को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में थाटे नहर की सुरक्षा और संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पट्टा किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—332LS(S4)—22.04.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 अप्रैल, 2013/3 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 305

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 402—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4596—4825 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2013-14 के लिए पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के परिणामी बजट* के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*परिणामी बजट 19.3.2013 को सभा पटल पर रखा गया।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत में आपदा से निपटने संबंधी तैयारी, गृह मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 5)।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 6)।

(3) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय खाद्य निगम और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) हिन्दी के प्रसार और विकास को त्वरित करने के लिए तथा संघ के विभिन्न आधिकारिक प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग और इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के बारे में वर्ष 2010-11 के लिए 42वें वार्षिक निर्धारण प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वेस्ट बंगाल लाइवस्टॉक प्रोसेसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1994-1995 से 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल लाइवस्टॉक प्रोसेसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 1994-1995 से 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. **प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन**

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'मोबाइल टेलीफोनी में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की भूमिका और कार्यकरण' विषय के बारे में

15वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशें/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय कल्याण योजनाएं' विषय के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(3) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित 'भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) का कार्यनिष्पादन' विषय के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन।

6. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में छियालीसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में अड़तालीसवां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰सी॰ चाको ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा के अभिज्ञात गैर-परंपरागत संसाधनों की उपलब्धता—उपयोग की तुलना में उनकी क्षमता' के बारे में उनतीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तैंतीसवां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन।

(3) ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के संबंध में समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के संबंध में समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

10. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के बारे में तीसवां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन, विकास और कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी समानुषंगी कंपनी में सीएसआर कार्यकलाप" के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2013-14)" के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'तिलहन बोर्ड' के बारे में श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के संबंध में 12.3.2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे —

(1) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा ओडिशा के संबलपुर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एंटो एंटोनी द्वारा अमरीका से एसबीआई की निलंबित धनप्रेषण सेवाओं को पुन: आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सभी गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड का पुनरुद्धार करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों के बाहरी क्षेत्रों में डेयरी पार्क्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में पर्याप्त रसोई गैस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा राज्यों में राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने और तालुक स्तर के अस्पतालों को निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा गुजरात-राजस्थान सीमा और राजस्थान के बाड़मेड जिले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रामकिशुन द्वारा चंदौली सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के समग्र विकास हेतु विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वित्तीय चरण में सभी गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में नन्दकुमार से बलाईपोंडा (मोयना) तक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰ आनंदन द्वारा तमिलनाडु में अराकन्डानल्लूर और विल्लूपुरम के बीच समपार पर एक रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री बलीराम जाधव द्वारा अनुचित व्यवहार में संलिप्त बैंकों के विरुद्ध शीघ्र और समयबद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.06 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 25 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

दिनांक 22.04.2013 के समाचार—भाग 1

संख्या 304 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ संख्या	क्रम संख्या	के लिए	पढ़ा जाए
1			
निधन संबंधी उल्लेख	1 (चार)	ईरान, पाकिस्तान और चीन	ईरान और पाकिस्तान

GMGIPMRND—367LS(S4)—23.04.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 25 अप्रैल, 2013/5 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 306

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री अम्बिका बनर्जी तथा बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री सी॰ कुप्पुसामी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और इसके बाद सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 421—440 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4826—5055 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

अपराह्न 11.03 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—401LS(S4)—25.04.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2013/6 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 307

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री आदिकेशवुलु के निधन के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने 24 अप्रैल, 2013 को बांग्लादेश के सावर में एक बहुमंजिली इमारत के ढह जाने के कारण कई लोगों के मारे जाने तथा कई अन्य व्यक्तियों के घायल हो जाने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 442—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5056—5285 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 27घ की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 654(अ) जो 28 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी निदेशकों को अनुसूची में यथाउल्लिखित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(दो) सा०का०नि० 127(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 654(अ) जो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में

स्थापित संबंधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशकों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में है, की विधिमान्यता 28 फरवरी, 2013 से छह महीने की अवधि अथवा संबंधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संस्थान निकाय/शासी निकाय के गठन होने और उसकी पहली बैठक का आयोजन होने तक, जो भी पहले घटित हो, बढ़ाई गई है।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, उधगमंडलम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, उधगमंडलम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) सीमेंट कारपोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2013-2014 के लिए पंचायती राज मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2006-2007 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली का दूसरा प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2006-2007 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में की गई कार्यवाही ज्ञापन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(15) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अलटरनेटिव डिस्प्यूट रेजोलूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अलटरनेटिव डिस्प्यूट रेजोलूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) दूसरा संशोधन नियम, 2011 जो 25 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 835(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसियेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसियेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 87(अ), जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन कम्पनियों को निधियां घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या 21-सीडब्ल्यूए/2013 जो 4 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ने 17 जनवरी, 2013 को आयोजित अपनी 278वीं बैठक में संयुक्त निदेशक श्री राजेन्द्र बोस को अनुशासनिक निदेशालय द्वारा प्राप्त किसी सूचना या शिकायत के संबंध में अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाभिहित किया जाना अधिसूचित किया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 375(अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा-शुल्क (गै॰टै॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 424(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 496(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा-शुल्क (गै॰टै॰) जो 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित हुए थे, में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) सदस्य देशों जिनमें पीपल्स रिपब्लिक बांग्लादेश, किंगडम ऑफ भूटान, भारत गणराज्य, मालदीव गणराज्य, किंगडम ऑफ नेपाल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तथा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका शामिल हैं, की सरकारों के बीच दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफटा) (इसमें इसके पश्चात् ''करार'' कहा गया है) के अंतर्गत माल के उद्‌गम का नियतन (संशोधन) नियम, 2013 जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 131(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 574(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं

में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 732(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (गै॰टै॰) जो 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित हुई थी, में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 796(अ) जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 948(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कच्चे पेट्रोलियम ऑयल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल को ब्रुनेई दारूसलम से भारत में आयात किए जाने पर, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 949(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 950(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 951(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 952(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011–सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 953(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जो 30 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 125/2011–सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 19 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 410(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 22 फरवरी, 2013 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के 13वें सत्र के प्रथम भाग के दौरान संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 9 विधेयक सभा पटल पर रखेः—

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2013;

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 2013;

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2013;

(4) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2013;

(5) विनियोग विधेयक, 2013;

(6) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013;

(7) झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2013;

(8) झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013; और

(9) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2013।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने कार्य मंत्रणा समिति का 47वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2013-14 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 19वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) वर्ष 2013-14 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 20वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बी॰ के॰ हान्डिक ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (एनसीबीसी) के सुदृढ़ीकरण और संवैधानिक दर्जा देने के उपाय, के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2012-13) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

***9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री हमदुल्लाह सईद ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में एक सौ उनहत्तरवां प्रतिवेदन।

(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में एक सौ सत्तरवां प्रतिवेदन।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ के॰ बिजू ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 253वां प्रतिवेदन।

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 254वां प्रतिवेदन।

---

*अपराह्न 12.08 बजे

(3) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 255वां प्रतिवेदन।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के कार्यकरण संबंधी समिति के 59वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 67वां प्रतिवेदन।

(3) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 68वां प्रतिवेदन।

(4) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 69वां प्रतिवेदन।

(5) एड्स नियंत्रण विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 70वां प्रतिवेदन।

12. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के अठावनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.07 बजे

13. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पबन सिंह घाटोवार ने 29 अप्रैल, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे —

(1) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के गडचिरौली और गोंदिया जिले में क्रमश: बड़सा और आमगांव रेलवे स्टेशनों के पास रेललाइन पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अवतार सिंह भडाना द्वारा हरियाणा में फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली से आगरा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथकर की दर में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा गुम हुए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों का असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए उनकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस स्टेशनों में आवश्यक रूप से दर्ज कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा नागपुर को देश की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र में सूखा राहत कार्यों के लिए शर्तों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती रमा देवी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को देय पेंशन की राशि बढ़ाए जाने तथा देश के विशेषकर बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिभाऊ जावले द्वारा जल निकायों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना (आर॰आर॰आर॰) योजना के लिए निर्धारित आबंटन राशि को बढ़ाकर 30000 करोड़ रुपए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अशोक अर्गल द्वारा वाहनों से पथकर की उगाही किए जाने की व्यवस्था को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री एं॰के॰एस॰ विजयन द्वारा इंदिरा आवास योजना (आई॰एं॰वाई॰) के अंतर्गत यूनिट लागत को बढ़ाए जाने और आई॰एं॰वाई॰ के अंतर्गत आवास एककों की मरम्मत/रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा केरल के अट्टापडी में हुई आदिवासियों की मृत्यु की जांच किए जाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के गंजाम जिले में गोपालपुर में मेगा स्टील परियोजना की स्थापना के लिए टाटा स्टील द्वारा अर्जित भूमि विस्थापितों को वापस किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.10 बजे

(लोक सभा सोमवार, 29 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—450LS(S4)—26.04.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 308

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 462 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 461 और 463—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5286—5515 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) वी॰ओ॰ चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट, तुतीकोरिन के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰ओ॰ चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट, तुतीकोरिन के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सीमन्स प्रोविडेन्ट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मुम्बई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीमन्स प्रोविडेन्ट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मुम्बई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इनलैन्ड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैन्ड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एमओआईएल लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एमएसटीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) केआईओसीएल लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) एनएमडीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) मेकॉन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) (एक) सेंट्रल जू ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स, रक्षा मंत्रालय का परिणामी बजट।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए डायरेक्टोरेट जनरल मैरिड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट, रक्षा मंत्रालय का परिणामी बजट।

(13) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013 जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 379(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 596(अ) जो 11 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जूट वर्ष 2012-13 के दौरान एचडीपीई/पीपी बैग की केवल 2.30 लाख गट्ठरों की मात्रा के लिए आदेश देने के लिए समय 10.3.2013 से आगे बढ़ाकर अर्थात् 15.3.2013 तक और आपूर्ति पूरी करने के लिए समय 31.3.2013 से आगे बढ़ाकर अर्थात् 15.4.2013 तक किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 818(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जूट वर्ष 2012-13 के दौरान एचडीपीई/पीपी बैग की केवल 1.40 लाख गट्ठरों की मात्रा के लिए आदेश देने के लिए समय 15.3.2013 से आगे बढ़ाकर अर्थात् 31.3.2013 तक और आपूर्ति पूरी करने के लिए समय 15.4.2013 से आगे बढ़ाकर अर्थात् 30.4.2013 तक किया गया है।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एनटीसी लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(18) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1003(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खंड) विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 664(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1799(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1755(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1216(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1815(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7

(रीवा–कटनी–जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2491(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2583(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2482(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा–कटनी–जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 2584(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2599(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 2542(अ) जो 23 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 2861(अ) जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2249(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा–कटनी–जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2485(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल–पनढुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2544(अ) जो 23 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख (अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 2467(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2471(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे–सोलापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2481(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क (छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा/सिवनी जिला सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2461(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2468(अ) जो 13 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क

(बेतुल/छिंदवाड़ा जिला सीमा से छिंदवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2091(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 1754(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2860(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1527(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 661(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (औरंग-सरायपाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1826(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर–मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 917(अ) जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 2243(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा–कटनी–जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1332(अ)जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 2227(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (देवास–इंदौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2115(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 2226(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 2246(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल–पंढुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1969(अ) जो 25 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर–शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 2333(अ) जो 28 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3

(ग्वालियर–शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 663(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1005(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 597(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 के विभिन्न खंडों (ग्वालियर–शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 487(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर–राजमार्ग क्रॉसिंग खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 2593(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1562(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2248(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहाट से डिब्रुगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 873(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबदुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 528(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1486(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) उमरनाला से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 600(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी–जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1558(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 587(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (डिजाइन चैनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 905(अ) जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 750(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी–देवास

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 607(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरपन) का॰आ॰ 1227(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपासों के निर्माण सहित) (औरंग–सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 1788(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपासों के निर्माण सहित) (औरंग–सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 1341(अ) से का॰आ॰ 1344(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के विभिन्न खंडों (औरंग–सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 1484(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपासों के निर्माण सहित) (औरंग–सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का॰आ॰ 553(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठावन) का॰आ॰ 871(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 1011(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 542(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा–कटनी–जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 673(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर–लखनडन खंड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (जबलपुर–मंडला खंड) (नए संरेखण सहित) पर जुड़ने वाले जबलपुर बाईपास के विस्तार हेतु निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 747(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3075(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) का॰आ॰ 1531(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 1798(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा–कटनी–जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 1463(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नुमालीगढ़–दा–धारा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 874(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22

(जिरकपुर–परवानू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का०आ० 964(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर–शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का०आ० 959(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर–शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का०आ० 646(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी–जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का०आ० 658(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा–कटनी–जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का०आ० 2264(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर–बरगढ़–ओडिशा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का०आ० 2196(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर से भुवनेश्वर–कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का०आ० 2355(अ) जो 3 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 560(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंढुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 1920(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 2192(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 1215(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 606(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (अमरवार से छिंदवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 1525(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 2258(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 1821(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-देवास

खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 2033(अ) जो 5 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2177(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरासी) का॰आ॰ 2240(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सब-डिवीज़नल अधिकारी, राजस्व, कन्नोद को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 1490(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 543(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 1006(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 969(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 1001(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 1805(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नब्बे) का॰आ॰ 1761(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 886(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 1907(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 532(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरानवे) का॰आ॰ 875(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंचानवे) का॰आ॰ 1816(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 1239(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तहसीलदार, बरकोट को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सतानवे) का॰आ॰ 2460(अ) जो 31 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों को ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अठानवे) का॰आ॰ 1922(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 2330(अ) जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-बारगढ़-ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सौ) का॰आ॰ 2204(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ एक) का॰आ॰ 595(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनडन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दो) का॰आ॰ 1002(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तीन) का॰आ॰ 657(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1243(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ चार) का॰आ॰ 1373(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पांच) का॰आ॰ 665(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छह) का॰आ॰ 888(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सात) का॰आ॰ 890(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ आठ) का॰आ॰ 965(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ नौ) का॰आ॰ 979(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंढुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दस) का॰आ॰ 961(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ ग्यारह) का॰आ॰ 2839(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ बारह) का॰आ॰ 2842(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ तेरह) का॰आ॰ 2864(अ) जो 10 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ चौदह) का॰आ॰ 2905(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ पंद्रह) का॰आ॰ 2906(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ सोलह) का॰आ॰ 2922(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ सत्रह) का॰आ॰ 2923(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ अठारह) का॰आ॰ 2980(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के

उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ उन्नीस) का॰आ॰ 2921(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ बीस) का॰आ॰ 2904(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ इक्कीस) का॰आ॰ 2843(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ बाईस) का॰आ॰ 2840(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ तेईस) का॰आ॰ 2841(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ चौबीस) का॰आ॰ 420(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ पच्चीस) का॰आ॰ 400(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ छब्बीस) का॰आ॰ 401(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ सत्ताईस) का॰आ॰ 402(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ अट्ठाईस) का॰आ॰ 403(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ उनतीस) का॰आ॰ 336(अ) जो 7 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ तीस) का॰आ॰ 376(अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ इकत्तीस) का॰आ॰ 421(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ बत्तीस) का॰आ॰ 422(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ तैंतीस) का॰आ॰ 130(अ) जो 11 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें

उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ चौंतीस) का॰आ॰ 287(अ) जो 29 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ पैंतीस) का॰आ॰ 288(अ) जो 29 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ छत्तीस) का॰आ॰ 334(अ) जो 7 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ सैंतीस) का॰आ॰ 335(अ) जो 7 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार और झारखण्ड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ अड़तीस) का॰आ॰ 219(अ) जो 22 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ उनतालीस) का॰आ॰ 423(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ चालीस) का॰आ॰ 432(अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24ख के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ इकतालीस) का॰आ॰ 433(अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ बयालीस) का॰आ॰ 434(अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ तैंतालीस) का॰आ॰ 466(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ चवालीस) का॰आ॰ 467(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ पैंतालीस) का॰आ॰ 469(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ छियालीस) का॰आ॰ 484(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ सैंतालीस) का॰आ॰ 4(अ) जो 1 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में विभिन्न राजमार्ग संख्या 8, 76, 79 और 79क के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ अड़तालीस) का॰आ॰ 39(अ) जो 3 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उसमें

उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ उनचास) का॰आ॰ 116(अ) जो 9 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ पचास) का॰आ॰ 2872(अ) जो 11 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 862(अ) को निरस्त किया गया है।

(एक सौ इक्यावन) का॰आ॰ 468(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ बावन) का॰आ॰ 1460(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ तिरपन) का॰आ॰ 1916(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-संबलपुर-खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ चौवन) का॰आ॰ 1812(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ पचपन) का॰आ॰ 891(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ छप्पन) का॰आ॰ 1353(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ सत्तावन) का॰आ॰ 1608(अ) जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ अट्ठावन) का॰आ॰ 877(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ उनसठ) का॰आ॰ 973(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ साठ) का॰आ॰ 879(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ इकसठ) का॰आ॰ 880(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बासठ) का॰आ॰ 976(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ तिरसठ) का॰आ॰ 881(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69

(अब्दुल्लागंज–बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ चौसठ) का॰आ॰ 742(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(एक सौ पैंसठ) का॰आ॰ 787(अ) जो 20 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना–बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ छियासठ) का॰आ॰ 841(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1210(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ सड़सठ) का॰आ॰ 850(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2442(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ अड़सठ) का॰आ॰ 327(अ) जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बीवर–बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ उनहत्तर) का॰आ॰ 328(अ) जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना–बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ सत्तर) का॰आ॰ 357(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ इकहत्तर) का॰आ॰ 358(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बहत्तर) का॰आ॰ 500(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(एक सौ तिहत्तर) का॰आ॰ 2198(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

4. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राज बब्बर ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(2) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

5. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन मंत्रालय के 'केन्द्रीय मृदा और पदार्थ अनुसंधान केन्द्र की समीक्षा' के बारे में 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. प्रस्ताव

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 26 अप्रैल, 2013 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.19 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा आंधी-तूफान/चक्रवात को आपदा राहत कोष के अंतर्गत शामिल किए जाने और तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले के जिन केला उत्पादकों का नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली में लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले गांवों में भूमि का मिश्रित प्रयोग किए जाने हेतु अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश में बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मल्टीसेक्टोरल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इंटर-कालेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हर्ष वर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के शेष 55 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) अर्जुन राम मेघवाल द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर का नाम बदलकर राजकुमारी और कृष्ण भक्त, मीरा बाई के नाम पर ही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में अनाथों और गरीब बेसहारा बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा मेरठ या मुरादाबार में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार के खगड़िया जिले में बेलदौर से प्रियानगर तक सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक रेल औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री ए॰के॰एस॰ विजयन द्वारा तमिलनाडु में नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के तेल कुंओं में आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु सुरक्षा के उपाय किए जाने तथा निगम द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षण स्तर में सुधार हेतु अध्यापकों और छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु बिहार सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।*)

अपराह्न 2.02 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 30 *अप्रैल,* 2013 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—570LS(S4)—29.04.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 30 अप्रैल, 2013/10 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 309

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 482—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5516—5745 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी गई:—

(एक) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 23) निष्पादन लेखापरीक्षा (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)।

(दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सूचना के प्रयोग के माध्यम से कराधार के सुदृढ़ीकरण से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 4) निष्पादन लेखापरीक्षा (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)।

(2) वर्ष 2013-14 के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी गई:—

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत सरकार के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) असम एग्रो॰ इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो॰ इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) नाशक कृमि और कीट अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अन्तर्गत पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2013 जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 799(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2013 जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नारियल विकास बोर्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2012 जो 7 जुलाई, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 166 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नारियल विकास बोर्ड (निदेशक) भर्ती विनियम, 2013 जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 32(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ गिरिजा व्यास ने लोक लेखा समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2010-11 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 34 के पैरा संख्या 2.2 पर आधारित 'भारतीय रेल में तत्काल और अग्रिम आरक्षण प्रणाली' के बारे में 80वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित वर्ष 2011-12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 8 पर आधारित 'उर्वरक राजसहायता' के बारे में 81वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2011-12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 26 पर आधारित 'आयातित दलहन की बिक्री और वितरण' संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

(4) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित वर्ष 2011-12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा संख्या 4.2.1 और 4.2.2 पर आधारित 'सहायता अनुदान और राजसहायता शीर्ष में प्रावधान में अभिवृद्धि' संबंधी 83वां प्रतिवेदन।

(5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'औषधियों और चिकित्सा उपकरण की खरीद' संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 84वां प्रतिवेदन।

(6) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित 'आयडल इनवेस्टमेंट ऑन अ न्यू लाइन' संबंधी समिति के 43वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 85वां प्रतिवेदन।

(7) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'कृषि और सहकारिता विभाग की मांग संख्या 1 की समीक्षा' संबंधी समिति के 56वें प्रतिवेदन (15 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 86वां प्रतिवेदन।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड' संबंधी चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) 'एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा स्वर्ण आभूषण का निर्यात' संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत संचार निगम लिमिटेड' संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(4) 'पवन हंस लिमिटेड' संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

6. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'फसल विविधीकरण' विषय के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'नागर विमानन का विकास और विनियमन' विषय के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में बीड़ी कर्मकारों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन'' संबंधी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) दूरसंचार विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मागों (2013-14) संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

10. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

11. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कमलेश पासवान ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोकेमिकल विभाग) के अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन।

12. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती ऊषा वर्मा ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 38वां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 39वां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(4) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

13. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰ पी॰ धनपालन द्वारा समुद्री लहरों से बचाव के लिए केरल में अजीकोड से चेंतरापिन्नी तक तटीय बैल्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा कोशली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एन॰ पीताम्बर कुरुप द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में आपत्तिजनक सामग्री की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सज्जन वर्मा द्वारा देश में बच्चों और महिलाओं पर हो रहे यौन अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री इज्यराज सिंह द्वारा देश में समपारों को बंद किए जाने के लिए निर्णय लेने से पूर्व जन-प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण जानने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में वनाज-रामवाडी कॉरीडोर पर मेट्रो रेल परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से की धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु में सदुरानागपट्टिनम में राज्य राजमार्ग संख्या 58 पर बकिंगम कैनाल पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा सहकारी बैंकों में व्यक्तियों द्वारा इंश्योरड जमा राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर एक रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा महाराजा सातन पासी के सम्मान में एक स्मृति डाक टिकट जारी किए जाने और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ऐतिहासिक सातन कोट का सौन्दर्यीकरण और पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के बाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल ओवरब्रिज के निर्माण हेतु प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु निजी वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल में इरोड और पालक्काड के बीच मेमू रेलगाड़ी शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी द्वारा ओडिशा में खुर्दा, जटनी, भुवद्वाराश्वर और कटक के शहरी क्षेत्रों को जोड़द्वारा के लिए मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली शुरू करद्वारा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सी॰ राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में कैंसर अनुसंधान संस्थान, अडयार का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा देश में कृषि के विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

15. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

माननीय सदस्यगण, आपको स्मरण होगा कि कार्य मंत्रणा समिति ने 22 अप्रैल, 2013 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि अनुदानों की मांगों (रेल)—2013-14 पर चर्चा और मतदान 23 अप्रैल, 2013 को होगा। समिति ने अनुदानों की मांगों (सामान्य) और वित्त विधेयक, 2013 पर चर्चा की तारीखें भी निर्धारित कीं।

तथापि, वर्तमान परिस्थितियों में यह चर्चा कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो पायी। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि हमारे पास वित्तीय कार्य को पूरा कर द्वारा के लिए बहुत सीमित समय है। इसके अलावा इस सभा द्वारा संबंधित विनियोग विधेयकों और वित्त विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात् राज्य सभा को भेजा जाना है।

वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैंने कल कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में नेताओं द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अनुदानों की मांगें (रेल)—2013-14, अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2013-14 और वित्त विधेयक, 2013 को बगैर चर्चा के पारित किया जाए। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हम अब वित्तीय कार्य शुरू करते हैं।

अपराह्न 12.17 बजे

प्रो॰ सौगत राय ने अनुदानों की मांगें (रेल) और (सामान्य) और वित्त विधेयक को बिना चर्चा के पारित किए जाने के बारे में व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> ''प्रो॰ सौगत राय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैंने सभी नियमों को देखा है और मैं कह सकती हूं कि विशेष परिस्थितियों में इस सभा द्वारा पहले भी वित्तीय कार्य को बिना चर्चा के पारित किया है........ इस बात से मुझे बहुत दु:ख होता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें चर्चा किए बिना इन चार मदों को पारित करना होगा। गिलोटिन के लिए अपराह्न 1.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है और यह कल नेताओं की बैठक में निर्धारित की गयी थी...... मैंने आपके द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार कर लिया है और मैं कुछ सदस्यों को बहुत संक्षेप में बोलने की अनुमति देती हूं ताकि चर्चा करने की इस अनिवार्यता की पूर्णत: उपेक्षा न हो।''

अपराह्न 12.45 बजे

16. बजट (रेल—2013-14—अनुदानों की मांगें)

2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16 वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

17. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2013

18. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2013

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.48 बजे

19. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''माननीय सदस्यगण, अनुदानों की मांगें (सामान्य) आज अपराह्न 1.30 बजे सभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचीबद्ध की गई है। चूंकि हम पहले ही रेल बजट पारित कर चुके हैं, हम अनुदानों की मांगें (सामान्य) को निर्धारित समय से पहले सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं और मांगों को तत्काल ले सकते हैं।''

अपराह्न 12.49 बजे

20. बजट (सामान्य)—2013-14—अनुदानों की मांगें

अपराह्न 12.49 बजे वर्ष 2013-2014 के बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 में दर्शाई गई राशि के लिए निम्नलिखित अनुदानों की मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3

(2) परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4 से 5

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 से 12

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 से 17

(9) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19

(11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27

(12) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(13) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29

(14) भू विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30

(15) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31

(16) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32

(17) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 33, 34, 36, 37 और 39 से 45

(18) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46

(19) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50

(20) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 और 52

(21) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 53 से 57 और 96 से 100

(22) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58

(23) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 और 60

(24) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61

(25) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62

(26) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64

(27) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(28) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(29) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(30) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(31) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(32) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71

(33) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(34) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74

(36) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75

(37) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76

(38) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 78

(39) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 79

(40) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 81

(41) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82

(42) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 और 84

(43) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 से 87

(44) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89

(46) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 90

(47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91

(48) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(49) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(50) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94

(51) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95

(52) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101 से 103

(53) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104

(54) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105

(55) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106

अपराह्न 12.56 बजे

21. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013

22. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.58 बजे

(दो) वित्त विधेयक, 2013

लिया गया समय: 56 मिनट

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

(2) श्री प्रताप सिंह बाजवा

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद विवाद में भाग लिए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा

और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 2 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 3क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 3क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 22 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 23 और 24 स्वीकृत हुए।

खंड 25 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 26 से 31 स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्यप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 31क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 31क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 32 से 36 भी स्वीकृत हुए।

खंड 37 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 38 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 39 से 41 स्वीकृत हुए।

खंड 42 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 43 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43क भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह है कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ख को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ख भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालय नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 18 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ग को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ग भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43घ को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43घ भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ड़ को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ड़ भी स्वीकृत हुआ।

खंड 44 से 46 स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 46क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खड 46क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 47 से 50 स्वीकृत हुए।

खंड 51 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 52 से 66 स्वीकृत हुए।

खंड 67 स्वीकृत हुआ।

खंड 68 से 92 स्वीकृत हुए।

खंड 93 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 94 से 125 स्वीकृत हुए।

पहली और दूसरी अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

तीसरी अनुसूची यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

चौथी, पांचवीं और छठी अनुसूचियाँ स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 1.40 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 2 मई, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—628LS(S4)—30.04.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 2 मई, 2013/12 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 310

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान रहने के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 501—520 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5746—5975 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. संकल्प

अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''**माननीय सदस्यगण**, यह सभा पाकिस्तान में साथी कैदियों द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किए जाने के पश्चात् आज भारतीय नागरिक श्री सरबजीत सिंह के जिना हॉस्पीटल, लाहौर, में हुए दु:खद निधन पर अपना गहरा शोक और दु:ख व्यक्त करती है।

यह सभा पाकिस्तान की जेल में श्री सरबजीत सिंह के साथ हुए अमानवीय व्यवहार की निन्दा करती है और आशा करती है कि दोषियों को दंडित किया जाएगा।

यह सभा श्री सरबजीत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करती है और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने में मेरा साथ देगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) डब्ल्युएपीसीओएस लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एसएएस नगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(11) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एनएचपीसी लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(14) (एक) सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलोर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलोर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2011–2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 जो 4 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 3–1/संशोधन/संयोजन विनियम/2013/सीडी/सीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (सातवां संशोधन) नियम, 2012 जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 906 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 173(अ) जो 16 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें न्यायमूर्ति एस॰ साघीर अहमद जांच आयोग जिसे 02.12.2000 को उत्तर रेलवे के अम्बाला लुधियाना खण्ड के सराई बंजारा स्टेशन के निकट हावड़ा अमृतसर मेल ट्रेन संख्या 3005 अप की डाउन मालगाड़ी के पटरी से उतर गए डिब्बों के साथ भिड़ंत के बारे में जांच करने के लिए गठित किया गया था, की रिपोर्ट तथा उन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा, 22 मार्च 2013 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2013 से आंरभ और 30 अप्रैल 2014 को समाप्त होने वाली समयावधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों को नामर्निदष्टि करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी:—

1. डॉ॰ ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयप्पन
2. श्रीमती अम्बिका सोनी
3. श्री प्रकाश जावडेकर
4. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
5. श्री प्रशांत चटर्जी
6. श्री एन॰के॰ सिंह
7. डॉ॰ वी॰ मैत्रेयन

(दो) कि राज्य सभा ने 22 मार्च, 2013 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2013 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2014 को समाप्त होने वाली समयावधि के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में भाग लेने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया है:—

1. श्री नंदी येल्लैया
2. डॉ॰ प्रदीप कुमार बालमुचू
3. श्रीमती वनसुक सैयम
4. श्री नंद कुमार साय
5. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
6. श्री थावर चन्द गहलोत
7. श्री वीर सिंह
8. श्री शशी भुषण बेहेरा
9. श्री डी॰ राजा
10. श्री लालमिंग लिआना

(तीन) कि राज्य सभा, 22 अप्रैल, 2013 को हुई अपनी बैठक में समिति की पहली बैठक आरंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सभा के दस सदस्यों को अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में सहयोजित किए जाने हेतु निर्वाचित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम तथा आगामी सत्र के दौरान शेष तीन रिक्तियों को भरे जाने की सूचना दी:—

1. श्री वी॰ हनुमंत राव
2. डॉ॰ राम प्रकाश
3. श्री रामचन्द्र खूंटिआ
4. श्री अश्क अली टाक
5. श्रीमती झरना दास बैद्य
6. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह
7. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करूणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन और उससे संबंधित कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

कुंवर रेवती रमण सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री उदय प्रताप सिंह
श्री पकौड़ी लाल कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे:—

(1) खान मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2013-14)'' के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (2013-14)'' के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिसवाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(2) नि:शक्तता कार्य विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

11. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ शेख सैदुल हक ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 107वां प्रतिवेदन।

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 108वां प्रतिवेदन।

12. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2013 के बारे में कार्मिक,

लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 59वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री की ओर से उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी,पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'औषधियों के उत्पादन और विपणन की निगरानी' के बारे में श्रीमती कमला देवी पटले, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1775 के संबंध में 07.3.2013 को दिए गए उत्तर के अंग्रेजी संस्करण में शुद्धि करने, और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, द्वारा वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा श्रीलंका की नौसेना द्वारा मछुआरों पर हमले किए जाने के बारे में।

(2) श्री विलास बी॰ मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एम॰ आई॰ शानवास द्वारा सूखा प्रभावित केरल के लिए राहत पैकेज प्रदान करने और राज्य में कृषि ऋणों के भुगतान स्थगित रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में चोप्पाडनडी मंडल के जमाईकुंटा और रूकमापुर में औद्योगिक अवसंरचना विकास केन्द्र की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ स्थित झंगाई रेलवे स्टेशन और अमेठी के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विन्सेंट एच॰ पाला द्वारा मेघालय और असम के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें शैक्षिक सुविधाओं और आरक्षण के लाभ प्रदान करने हेतु भरसक प्रयास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बैंकों द्वारा समय पर बीमे की किस्त जमा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा 2013 के शैक्षिक सत्र से असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के परिसर में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रेवती रमण सिंह द्वारा इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई लि॰) की देशभर में विशेषतया उत्तर प्रदेश में नैनी, इलाहाबाद में स्थापित कारखानों के लिए कार्य आदेश दिए जाने और आईटीआई लि॰ के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ रत्ना डे नाग द्वारा युवाओं को उच्च रक्तचाप (हाईपरटेंशन) से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा ईपीएफ पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ाए जाने और उन्हें पूर्व में प्राप्त अन्य लाभों को दोबारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 2.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.00 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

अपराह्न 3.00 बजे

15. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

आवंटित समय:	4 घंटे
लिया गया समय:	01 मिनट
शेष:	3 घंटे 59 मिनट

प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.01 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 3 मई, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—691LS(S4)—02.05.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 3 मई, 2013/13 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 311

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री कृष्ण कुमार गोयल के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 521 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 522—540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5976—6193 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित न्याय अनुदान के कार्य क्षेत्र के विस्तार से संबंधित

कार्यवाही टिप्पणी के रूप में समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथिक महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों की न्यूनतम मानक अपेक्षा) विनियम, 2013 जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-10/2000-सीसीएच (भाग-तीन) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों की न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) विनियम, 2013 जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-134/2012-यूनानी (एम॰एस॰आर॰) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्धा महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों की न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) विनियम, 2013 जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18-1/2010-एस (एम॰एस॰आर॰) में प्रकाशित हुए थे।

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2013 जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 53(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 1 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 8 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वोल्यन्टरी हैल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वोल्यन्टरी हैल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वोल्यन्टरी हैल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

क्रम सं॰	संस्थानों के नाम	लेखा वर्ष
1.	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली	2011-12
2.	सीएनसीआई, कोलकाता	2011-12
3.	मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली	2011-12
4.	सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली	2011-12
5.	सेन्ट्रल काउंसिल फोर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई	2011-12
6.	इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली	2011-12

(14) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मैमोरियल म्यूजियम एण्ड लाईब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नौर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नौर्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल कल्चर फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लद्दाख के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लद्दाख के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लद्दाख के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एण्ड चाईल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एण्ड चाईल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

तेरहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 48	दूसरा सत्र, 1999

चौदहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 27	7वां सत्र, 2006
3.	विवरण संख्या 22	9वां सत्र, 2006
4.	विवरण संख्या 22	10वां सत्र, 2007
5.	विवरण संख्या 19	13वां सत्र, 2008
6.	विवरण संख्या 17	14वां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

7.	विवरण संख्या 15	दूसरा सत्र, 2009
8.	विवरण संख्या 13	तीसरा सत्र, 2009
9.	विवरण संख्या 13	चौथा सत्र, 2010
10.	विवरण संख्या 10	5वां सत्र, 2010
11.	विवरण संख्या 9	छठा सत्र, 2010
12.	विवरण संख्या 7	7वां सत्र, 2011
13.	विवरण संख्या 7	8वां सत्र, 2011
14.	विवरण संख्या 6	9वां सत्र, 2011
15.	विवरण संख्या 5	10वां सत्र, 2012
16.	विवरण संख्या 3	11वां सत्र, 2012
17.	विवरण संख्या 2	12वां सत्र, 2012
18.	विवरण संख्या 1	13वां सत्र, 2013

(43) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बीको लारी लिमिटेड और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(44) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीको लारी लिमिटेड कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लारी लिमिटेड कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (संशोधन) नियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 121(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(47) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 374(अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल ग्रामीण बैंक और पर्वतीय ग्रामीण बैंक के हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 457(अ) जो 25 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमजीबी ग्रामीण बैंक और जयपुर थार ग्रामीण बैंक के मरूधारा ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 491(अ) जो 28 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वेनगंगा कृष्ण ग्रामीण बैंक के विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(48) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय सेन्ट्रल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 21 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 67 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्राकर्स और सब-ब्राकर्स) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 5 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/01/8129 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्व विनियामक संगठन) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/27/5469 में प्रकाशित हुए थे।

(51) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 191(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(52) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 190(अ) जो 25 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सीमा शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 198(अ) जो 2 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमा शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 851(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2003-सीमा शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 925(अ) जो 4 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) का॰आ॰ 936(अ) जो 10 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(53) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 189(अ) जो 25 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(54) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 187(अ) जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेटा फर्नीलीन डैमिन पर 6 महीनों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(55) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण)—(चौथा संशोधन) विनियम, 2013 जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रजि॰/3/61/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त किया गया बीमांकिक) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रजि॰/4/62/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2013 जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईआरडीए/रजि॰/5/63/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(56) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 और अनुज्ञप्तियों का विनियमन, वृत्तिक अपेक्षाओं और बीमा सर्वेक्षकों तथा हानि निर्धारकों की आचार-संहिता विनियम, 2000 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ आईआरडीए/अधिसूचना॰/7/65/2013 जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री सुकुमल कुमार चौधरी, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 2555 को रद्द किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 30 अप्रैल, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2013 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 30 अप्रैल, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को 30 अप्रैल, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2013 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 9वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ चार्ल्स डिएस ने उच्च शिक्षा विभाग के वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 256वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पाण्डा ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 191वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 192वां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 193वां प्रतिवेदन।

(4) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 194वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 195वां प्रतिवेदन।

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 60वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पवन सिंह घाटोवार ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.07 बजे

(लोक सभा सोमवार, 6 मई, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—710LS(S4)—03.05.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 6 मई, 2013/16 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 312

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 541 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 542—560 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6194—6423 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड फोरेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड फोरेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 592(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 945(अ) जो 12 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2013 जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 176(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बैंगलोर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बैंगलोर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) बीईएमएल लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) (एक) नेशनल स्पोर्टस डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्पोर्टस डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) पीईसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एमएमटीसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(11) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अंतर्गत न्यूजप्रिंट नियंत्रक (संशोधन) आदेश, 2013 जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 543(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल जूट मेन्यूफैक्चर्स कोरपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) जूट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(13) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत सेवा की क्वालिटी (मीटरिंग और बिलिंग शुद्धता के लिए आचार संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 25 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 305-8/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) साइबर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते, और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2012 जो 29 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूचना प्रौद्योगिकी (महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के वेतन, भत्ते, और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2012 जो

29 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) वी॰वी॰ गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 530(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 938(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 513(अ) जो 5 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 613(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71

(रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 113(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (बिलासपुर-नेर चौक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 19(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (सोलापुर-बीजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 194(अ) जो 19 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218, 63 और 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 7(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बीजापुर-गुलबर्गा-होमनाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 63(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 108(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 87(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के पणजी-मंगलौर खण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (गोवा-कर्नाटक सीमा से कुंडापुर तक) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 12(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 नवंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1923(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 13(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13

(सोलापुर–बीजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 14(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 (होसकोटे–सोमपुरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 15(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हवेरी–हुबली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 814(अ) जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उल्लिखित मार्गों/सड़क खण्डों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 815(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 816(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 862(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 864(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का॰आ॰ 866(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का॰आ॰ 887(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गौमती चौराहे से उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1827(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और 76 (देवारी से काया) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 1906(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (झालावाड-बयारा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 1520(अ) जो 6 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पाढ़ी-द्राहोद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1491(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1520(अ) जो 6 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पाढ़ी-द्राहोद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1813(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2120(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (प्रतापगढ़ पाड़ी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 2254(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (सिरोही खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 2595(अ) जो 29 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2547(अ) जो 23 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (असिन्द खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 2328(अ) जो 28 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमंद से भीलवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1759(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79(किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 2792(अ) जो 24 नवबंर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 एक्सटेंशन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1004(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2634(अ) जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1559(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (चित्तौड़गढ़-मंगलवार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1753(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 2791(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 115(अ) जो 9 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 और 6 को जोड़ने वाले हल्दिया पत्तन के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 594(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली-कोटा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों की वसूली के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 544 (अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 3 (ग्वालियर-देवास-राउ बरास्ता इन्दौर बाइपास खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 593 (अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (रानीगंज-पानागढ़ खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 377 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर-वेंगलम-कुट्टीपुरम खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 435 (अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-देवास-राउ बरास्ता इन्दौर बाइपास खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 465 (अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 25 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 505 (अ) जो 4 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (नसीराबाद-चितौड़गढ़ खण्ड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 290 (अ) जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-देवास-राउ बरास्ता इन्दौर बाइपास खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 365 (अ) जो 14 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12

(जयपुर-टोंक-देवली-कोटा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 836 (अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 और 648 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 193 (अ) जो 18 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयबाड़ा-विशाखापत्तनम खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 623 (अ) जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुंदापुर-सूरतकल-मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 626 (अ) जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 682 (अ) जो 13 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 2639 (अ) जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24ख (रायबरेली-इलाहाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 2550(अ) जो 23 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (वाराणसी-सुल्तानपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 2862(अ) जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (इटावा–चकेरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 2648(अ) जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (वाराणसी–सुल्तानपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(22) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 861(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क और 65 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰आ॰ 863(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 और 53 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का॰आ॰ 865(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

4. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1)	श्री वाई॰ एस॰ जगन मोहन रेड्डी	22.11.2012 से 20.12.2012 और 21.2.2013 से 22.3.2013
(2)	श्री मधु कोड़ा	21.2.2013 से 22.3.2013 और 22.4.2013 से 28.4.2013

(3)	श्री दिलीप सिंह जूदेव	21.2.2013 से 22.3.2013 और 22.4.2013 से 10.5.2013
(4)	श्रीमती मौसम नूर	21.2.2013 से 22.3.2013
(5)	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	6.12.2012 से 20.12.2012 और 21.2.2013 से 22.3.2013
(6)	श्री सी॰ एम॰ चांग	22.2.2013 से 21.3.2013

5. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 127वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने 21 से 26 अक्तूबर, 2012 तक क्यूबेक सिटी (कनाडा) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 127वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'पेड न्यूज से संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने 'राउरकेला इस्पात संयंत्र के दिवंगत कर्मचारियों के विधिक वारिसों का कल्याण—एक मामला अध्ययन' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 93वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 96वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित ''तटरक्षक बल संगठन के कार्यनिष्पादन'' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के खटलापुर मंडल में भेड़ों पर अनुसंधान करने के लिए एक संस्था की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले के मछुआरा समुदाय के विकास के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र से चीन की सेना की टुकड़ियों को पीछे हटाए जाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विशेषकर वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शहरों और कस्बों के साथ गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर जिले को ब्रज पर्यटन सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा महाराष्ट्र के लातूर और मुंबई के बीच चलने वाली लातूर एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जाटों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों के ब्लाकों में मॉडल स्कूलों की स्थापना किए जाने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में गुजराती भाषा के इस्तेमाल से संबंधित मामले में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 को चार लेन वाला बनाया जाने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री नीरज शेखर द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों तथा कृत्यों का अनुवर्तन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री धनंजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग संख्या 5 का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री महेश्वर हजारी द्वारा पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत धनबाद डिवीजन में टीआरडी विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. प्रो॰ सौगत राय द्वारा पाकिस्तान के लाहौर कारावास में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मृत्यु के बारे में।

15. श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर प्रात: 9 बजे और अपराह्न 4.30 बजे के बीच मौरापपुर और बोम्मीड़ी होते हुए सेलम, ईराड और चेन्नई के लिए एक ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा केरल के पालाक्काड जिले में सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किए जाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के सहकारी बैकों के पुनरुद्धार के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा यात्रियों के सुगम और निर्बाध यात्रा के लिए गुड़गाँव टोल प्लाजा को हटाए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

12. दूर संचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जाँच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी॰सी॰ चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा दूर संचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जाँच करने संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 2013 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.01 बजे

13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

आवंटित समय:	4 घण्टे
लिया गया समय:	16 मिनट
शेष समय:	3 घण्टे 44 मिनट

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस द्वारा 2.5.2013 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री संजय निरूपम
*2. श्री दिनेश त्रिवेदी
3. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
4. श्री भक्त चरण दास

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.16 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 7 मई, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे।

GMGIPMRND—777LS(S4)—06.05.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 7 मई, 2013/17 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 313

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 12वीं और 14वीं लोक सभा के सदस्य श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 561 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 562—580 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6424—6653 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों के संबंध में भारत

के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2013 का संख्यांक 2)— (अनुपालन लेखापरीक्षा) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (2013 का संख्यांक 7) — भारतीय खाद्य निगम में भंडारण प्रबंध और खाद्यान्न की ढुलाई का निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों एवं अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें नियम, 2013 जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कार्यक्रम कार्यकारी भर्ती विनियम, 2013 जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/5/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) प्रसारण कार्यकारी भर्ती विनियम, 2013 जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/6/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कैमरामैन ग्रेड-II भर्ती विनियम, 2013 जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/32/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रधान लिपिक/सहायक) भर्ती विनियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/4/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (इंजीनियरी सहायक) भर्ती विनियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/2/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (तकनीशियन) भर्ती विनियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/3/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त (10) के मद संख्या (चार) से (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 26 के अंतर्गत प्रेस परिषद् (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) संशोधन विनियम, 2012 जो 10 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-4/18/2011-पीसीआई (प्रशा॰) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(14) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2779(अ) से का॰आ॰ 2786(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 78(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 964(अ) जो 15 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1071(अ) जो 29 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के रूप में श्री एस॰ विजयकुमार का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बारे में है।

(17) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2787(अ) से का॰आ॰ 2790(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक (को) की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 269(अ) से का॰आ॰ 271(अ) जो 22 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(18) वर्ष 2013-2014 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खान मंत्रालय से संबंधित ''खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011'' के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित ''कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012'' के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश के विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की शिकायतों को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैसूर-बन्नूर-मालावलि, कोलेगल-मेट्टूर सेलम तथा नंजनगुड-चामराजनगर राज्य राजमार्गों का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखंड में संबंधित विभागों द्वारा संविदा कामगारों को प्रत्यक्ष नियोजन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एम॰आई॰ शानवास द्वारा केरल विशेषत: वायनाड जिले में हैजा उन्मूलन के लिए तत्काल प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एम॰ कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के आरानी में रेशम पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड को अपने ग्राहकों के भुगतान का निपटान करने के लिए राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अर्थोपाय सुझाने हेतु एक विशेष केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में चिन्नेवाला टिब्बा गैस क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा गैस भंडार का दोहन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण द्वारा गुजरात में साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की हिम्मतनगर तहसील में किसानों को रेल लाइनों के नीचे पानी की पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु उपयुक्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों को गेहूं का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बरहाज बाजार से फैजाबाद तक रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिहारी ब्लॉक में रसोई गैस लीक होने के कारण हुए जान-माल के नुकसान की घटना की जांच कराने तथा प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा कंधमाल जिले तथा देश के अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड के टावरों को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छावनी क्षेत्र के निकट घोषित रक्षा भूमि को खाली कराए जाने संबंधी आदेश का कार्यान्वयन निलंबित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत तमिलनाडु के केरोसीन आबंटन कोटा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा पारादीप पत्तन न्यास, ओडिशा में कार्यरत संविदा कामगारों को पर्याप्त मजदूरी तथा अन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार के शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में नक्सल प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने तथा इन जिलों में विकास योजनाएं भी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.04 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 1.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 1.00 बजे

8. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

आवंटित समय : 4 घण्टे
लिया गया समय : 18 मिनट
शेष समय : 3 घण्टे 42 मिनट

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस द्वारा 2.5.2013 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री भक्त चरण दास ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।*)

अपराह्न 1.02 बजे

(*लोक सभा बुधवार 8 मई, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—798LS(S4)—07.05.2013.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 मई, 2013/18 वैशाख, 1935 (शक)

संख्या 314

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 581 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 582—600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6654—6883 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 2013 जो 19 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 107(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सर्व शिक्षा अभियान पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) मणिपुर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मणिपुर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) झारखण्ड सेकेण्डरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, राँची के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड सेकेण्डरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, राँची के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एण्ड नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एण्ड नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) त्रिपुरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अगरतला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) त्रिपुरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अगरतला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मिशन नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मिशन नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोने हिल्स के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) डॉ॰ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) केरल माध्यमिक शिक्षा अभियान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल माध्यमिक शिक्षा अभियान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) दिल्ली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कावारत्ती के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कावारत्ती के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एण्ड दीव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एण्ड दीव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) मध्य प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कावारत्ती के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कावारत्ती के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) महाराष्ट्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजॉल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजॉल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) हिमाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन, शिमला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन, शिमला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसायटी, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसायटी, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) असम महिला समाख्या सोसायटी, दिसपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम महिला समाख्या सोसायटी, दिसपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजॉल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजॉल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) उपर्युक्त (96) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) उपर्युक्त (102) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) उपर्युक्त (104) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(107) उपर्युक्त (106) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) उपर्युक्त (108) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) उपर्युक्त (110) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) उपर्युक्त (112) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) उपर्युक्त (114) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राऊरकेला, राऊरकेला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राऊरकेला, राऊरकेला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) उपर्युक्त (116) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) उपर्युक्त (118) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(121) उपर्युक्त (120) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(122) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) उपर्युक्त (122) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) उपर्युक्त (124) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) उपर्युक्त (126) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(129) उपर्युक्त (128) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(130) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(131) उपर्युक्त (130) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(132) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(133) उपर्युक्त (132) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(134) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(135) उपर्युक्त (134) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(136) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(137) उपर्युक्त (136) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(138) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(139) उपर्युक्त (138) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(140) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(141) उपर्युक्त (140) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(142) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(143) उपर्युक्त (142) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(144) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(145) उपर्युक्त (144) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(146) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(147) उपर्युक्त (146) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(148) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(149) उपर्युक्त (148) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(150) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(151) उपर्युक्त (150) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(152) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(153) उपर्युक्त (152) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(154) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(155) उपर्युक्त (154) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(156) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(157) उपर्युक्त (156) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(158) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(159) उपर्युक्त (158) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(160) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(161) उपर्युक्त (160) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(162) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(163) उपर्युक्त (162) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(164) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(165) उपर्युक्त (164) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(166) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(167) उपर्युक्त (166) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(168) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(169) उपर्युक्त (168) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(170) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(171) उपर्युक्त (170) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(172) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(173) उपर्युक्त (172) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(174) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थाओं में इक्विटी का संवर्धन) विनियम, 2012 जो 25 जनवरी, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-3/2012(सीपीपी-दो) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थाओं का आज्ञापक निर्धारण और प्रत्यायन) विनियम, 2012 जो 25 जनवरी, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-42/2011(सीपीपी-दो) में प्रकाशित हुए थे।

(175) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [राष्ट्रीय नियोजनीयता वृद्धि मिशन (एनईईएम)] विनियम, 2013 जो 15 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 37-3/लीगल/एआईसीटीई/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(176) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(177) उपर्युक्त (176) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(178) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पवन हंस लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(179) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(180) उपर्युक्त (179) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(181) (एक) एयरपोर्ट्स इकानोमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) एयरपोर्ट्स इकानोमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(182) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(183) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(184) नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड और शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(185) (एक) दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(186) उपर्युक्त (185) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 20.3.2013 को सभा पटल पर रखे गए।

(187) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) एमटीएनएल और भारत सरकार के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(188) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 09/2013 सेवा कर जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(189) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 25/2013-सी॰शु॰ जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 26/2013-सी॰शु॰ जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(190) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 16/2013 के॰उ॰शु॰ जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने कार्य मंत्रणा समिति का 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

डॉ॰ बलीराम ने 2 मई, 2013 को आयोजित सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 9वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करूणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री अर्जुन चरण सेठी ने निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

(1) 'वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश की दर और अन्य अनुषंगी मामले' के बारे में छठा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) 'रेल मंत्रालय की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं — चेरथला, केरल में ऑटोकास्ट कारखाना को चालू किया जाना — एक केस अध्ययन' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

8. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने 'यौन उत्पीड़न और देह व्यापार के पीड़ित और उनका पुनर्वास' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2012-13) का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री ए॰ के॰ एस॰ विजयन ने "सोसायटी/न्याय/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों का निष्पादन" विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'तेल संस्थापनाओं की संरक्षा' विषय पर 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(2) 'दीर्घावधिक क्रय नीति और कच्चे तेल का रणनीतिक भण्डारण' विषय पर 18वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

11. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हसन खान ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 242वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 243वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 244वां प्रतिवेदन।

12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रदीप टम्टा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 239वां प्रतिवेदन।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 240वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 241वां प्रतिवेदन।

(4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 242वां प्रतिवेदन।

(5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 243वां प्रतिवेदन।

(6) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 244वां प्रतिवेदन।

(7) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) संबंधी 245वां प्रतिवेदन।

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक

शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में पहला प्रतिवेदन;

(दो) अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में 14वां प्रतिवेदन;

(तीन) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 19वां प्रतिवेदन;

(चार) अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 31वां प्रतिवेदन;

(पांच) अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 43वां प्रतिवेदन;

(छह) अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 51वां प्रतिवेदन;

(2) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बंद पड़े समपारों को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा सब्जियों में पाए जाने वाले कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री एकनाथ एम॰ गायकवाड द्वारा पाली भाषा को संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री के॰ पी॰ धनपाल द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 18, 22 और 24 के उपबंधों से केरल के प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री प्रेमचन्द गुड्डु द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाले रासायनिक उद्योगों को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों के जूट उत्पादकों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर जिले में एक अन्य जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के युवकों को उस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री नरेनभाई काछाड़िया द्वारा गुजरात में एक राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बिलहौर में प्रस्तावित एनटीपीसी विद्युत संयंत्र के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने तथा कोयला आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. डॉ॰ रत्ना डे नाग द्वारा पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों के जूट कृषकों तथा जूट उद्योगों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में तमिल भाषा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेव्स का आदान-प्रदान शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री राजू शेट्टी द्वारा कृषकों को दी जा रही ऋण माफी सुविधा के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताओं के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

15. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.11 बजे

(*लोक सभा अपराह्न* 12.11 *बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।*)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

GMGIPMRND—837LS(S4)—08.05.2013.